दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन सेवा नियम, 1972

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302 005

विषय–सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	**7**
अध्याय–I		**7**
1.	नियम–1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**7**
2.	नियम–2 लागू होने की सीमा	**7**
3.	नियम–3 संशोधित या व्याख्या करने की शक्ति	**8**
4.	नियम–4 शक्तियों का प्रदत्तीकरण	**8**
अध्याय–II		**9**
5.	नियम–5 परिभाषाऐं	**9**
अध्याय–III		**18**
6.	नियम–6 नियुक्तियाँ	**18**
7.	नियम–6 (क) परिवीक्षाधीन	**19**
8.	नियम–7 पदों का सृजन	**19**
9.	नियम–8 नियुक्ति प्राधिकारी	**20**
10.	नियम–9 नियुक्ति की शक्ति	**20**
11.	नियम–10 प्रथम नियुक्ति पर चरित्र एवं स्वास्थ्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना	**20**
12.	नियम–11 प्रथम नियुक्ति पर आयु	**22**
13.	नियम–12 सेवा में नियोजन	**22**

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
14.	नियम–13 पदाधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त	**23**
15.	नियम–14 पदाधिकार	**23**
16.	नियम–15 भविष्य निधि के लिए अंशदान	**23**
17.	नियम–16 वेतन एवं भत्ते की शर्तें	**23**
18.	नियम–17 पदभार का हस्तान्तरण	**24**
19.	नियम–18 प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व अनुबन्ध	**24**
20.	नियम–19 (अ) अवकाश की अधिकतम सीमा	**24**
21.	नियम–19 (ब) अवकाश उपरान्त अनुपस्थित रहने पर	**24**
22.	नियम–20 अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्ति	**24**
23.	नियम–20 (क) राजनीति और चुनावों में भाग लेना	**25**
अध्याय–IV		**27**
24.	नियम–21 धारित पद का वेतन	**27**
25.	नियम–22 प्रथम नियुक्ति पर वेतन	**27**
26.	नियम–22 (क) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का पारिश्रमिक	**28**
27.	नियम–23 पदोन्नति एवं उच्चतर पद पर नियुक्ति का वेतन विनियमन	**28**
28.	नियम–24 वार्षिक वेतन वृद्धि	**30**
29.	नियम–24 (क) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वेतन वृद्धि नहीं	**31**
30.	नियम–25 वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु सेवाकाल की गणना की शर्तें	**31**

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
31.	नियम–26 अपरिपक्व वेतन वृद्धियां	**33**
32.	नियम–26(क) वरिष्ठ कर्मचारी की वेतन वृद्धि	**33**
33.	नियम–27 दण्ड के रूप में निम्न पद पर स्थानान्तरण किये जाने पर वेतन	**36**
34.	नियम–28 स्थानापन्न नियुक्तियां	**36**
35.	नियम–29 अस्थाई पद का वेतन	**38**
36.	नियम–30 निजी कार्य करने की अनुमति	**38**
37.	नियम–31 मानदेय की स्वीकृति	**38**
38.	नियम–31 (अ) व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने पर नगद प्रोत्साहन	**39**
39.	नियम–32 विशिष्ट आज्ञा के स्वीकार्य भुगतान	**39**
अध्याय–V		
	निलम्बन	**40**
40.	नियम–33 निलम्बन के दौरान निर्वाह भत्ते का मापन	**40**
41.	नियम–34 पुनःस्थापित पर वेतन एवं भत्ते	**42**
42.	नियम–35 निलम्बन काल में अवकाश	**42**
43.	नियम–36 अनिवार्य (अधिवार्षिकी) आयु पर सेवानिवृत्ति	**42**
44.	नियम–36(क) 20 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	**43**
45.	नियम–36(ब) 15 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	**46**

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय–VI		**50**
46.	नियम–37 अवकाश	**50**
47.	नियम–38 अवकाश स्वीकृति के सामान्य अनुदेश	**50**
48.	नियम–39 आकस्मिक अवकाश	**53**
49.	नियम–39(1–अ) आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश	**54**
50.	नियम–40 विशेष आकस्मिक अवकाश	**55**
51.	नियम–40(क) क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश	**56**
52.	नियम–41 उपार्जित अवकाश	**57**
53.	नियम–41(क) सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुपयोजित अवकाशों के एवज में नगद भुगतान	**58**
54.	नियम–42 रूग्ण अवकाश	**59**
55.	नियम–43 अस्थाई कर्मचारी को देय अवकाश	**60**
56.	नियम–44 प्रसूति अवकाश	**60**
57.	नियम–44(क) पितृत्व अवकाश	**63**
58.	नियम–45 असाधारण अवकाश	**63**
59.	नियम–46 निरोधावकाश	**66**
60.	नियम–46 (क) अदेय अवकाश	**67**
अध्याय–VII		**69**
61.	नियम 47 विलोपित	**69**
62.	नियम 48 विलोपित	**69**

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
63.	नियम 49 विलोपित	**69**
64.	नियम 50 विलोपित	**69**
65.	नियम 51 विलोपित	**69**
66.	नियम–52 मृतक कर्मचारी के परिवार को देय विशेष अनुदान	**69**

❑ ❑ ❑

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का संस्थान)

सेवा नियम, 1972

प्रस्तावना

जबकि यह आवश्यक है कि दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति व सेवाओं के निबन्धन और शर्तों को परिभाषित किया जाये एवं उनके कर्त्तव्यों की व्याख्या के निर्धारण, अवकाश एवं उनको देय पारिश्रामिक, आदि, के प्रयोजनार्थ दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा निम्नलिखित नियम बना दिये हैं।

अध्याय–I

1. ये नियम ''दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 सेवा नियम, 1972'' कहलायेंगे। ये नियम तत्काल प्रभावशील होंगे।

2. जब तक कि स्पष्ट रूप से इसके विपरीत वर्णित हो, ये नियम निम्न के अतिरिक्त निगम के समस्त कर्मचारियों पर प्रभावी होंगेः

   (अ) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशकों पर जिनकी नियुक्ति की शर्तें एवं सेवाऐं ऐसी हो जैसी कि राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं;

   (ब) विशुद्ध रूप से अंशकालिक आधार पर कार्यरत व्यक्तियों;

   (स) अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों, जब तक कि अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रावधानों के लागू करने के लिए विशिष्ट रूप से इन नियमों को उपबन्ध नहीं करती हों;

   (द) उन व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार से अथवा भारत सरकार के कार्यालयों से अथवा किसी भी अन्य शासकीय सांविधिक मण्डल अथवा निगम से प्रतिनियुक्त हैं वह निगम और उनके पैतृक विभाग

के बीच सहमति के रूप में, उनके मूल विभाग में उन पर लागू सेवा नियमों और प्रतिनियुक्ति के नियमों एवं शर्तों के द्वारा शासित किये जाएगें।

(य) कारखाने एवं खान अधिनियम के तहत आवृत श्रमिकों।

3. संशोधित या व्याख्या करने की शक्तिः

निदेशक मण्डल इन नियमों में संशोधन, बदलने, व्याख्या करने, अलग–अलग, रूपान्तरित, परिवर्तन, रद्द करने अथवा जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है अथवा अन्य अनुपूरक नियमों में जो इन नियमों के संबंध में जारी किये गये हों एवं बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा ऐसा करने की आशय से एवं किसी भी दिनांक से जैसा वे उचित समझे प्रभावी करने का अधिकार आरक्षित है।

परन्तु कि अगर कोई नियम अथवा आदेश, जिसका कर्मचारी पर भूतलक्षी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे कर्मचारियों को उपयुक्त संरक्षण दिया जायेगा। निदेशक मण्डल के निर्णय कर्मचारियों पर बाध्यकारी होंगे।

4. शक्तियों का प्रदत्तीकरण

निदेशक मण्डल प्रस्ताव पारित कर अपनी शक्तियों को अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/अन्य अधिकारियों को इन नियमों में प्रत्यायोजित कर सकता है बशर्ते कि कम्पनी अधिनियम, संस्था की बही नियमावली और संस्था के अंतनियमों के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए प्रतिबंध और प्रावधान हैं।

निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अन्तर्गत अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक अपनी किसी भी शक्ति को जिसमें प्रत्यायोजित शक्तियां शामिल हैं, निगम के किसी भी अधिकारी को निदेशक मण्डल के लिखित में प्राधिकृत करने पर प्रदान कर सकते हैं। इन नियमों में वर्णित कुछ भी ऐसे प्रावधानों को परिवर्तित नहीं करेगा जो वर्तमान में किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत हो।

अध्याय–II

5. परिभाषाऐं:

(i) "आयु"

(अ) इन विनियमनों के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी की आयु की गणना जन्म की तिथि से की जायेगी जिस हेतु सेवायोजना के समय अथवा उसकी नियुक्ति की दिनांक से तीन माह के भीतर उसका प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) निम्नलिखित साक्ष्यों को वरीयता के क्रम में प्रामाणिक जन्म दिनांक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है:–

(1) उच्च विद्यालय/उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र में प्रदत्त जन्म दिनांक।

(2) नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र में प्रदत्त जन्म दिनांक।

(3) जन्मपत्रिका में प्रदत्त जन्म दिनांक बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा कथित जन्म की तारीख के जल्द बाद ही वह तैयार किया गया था।

(स) यदि कोई कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म दिनांक नहीं बताकर केवल अपने जन्म का वर्ष या वर्ष एवं माह ही बता सके तो उसकी जन्म तारीख क्रमशः उस वर्ष की एक जुलाई अथवा उस माह की 16 तारीख समझी जायेगी।

(द) यदि कोई कर्मचारी अपने जन्म का वर्ष भी बताने में असमर्थ हैं तो निगम द्वारा अनुमोदित एक चिकित्सा

अधिकारी से एक प्रमाण पत्र से निर्दिष्ट अनुमानित वर्ष को आयु की गणना के प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(य) जब किसी कर्मचारी का विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति पर रहना आवश्यक हो तो जिस दिन वह कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करता है, वह अकार्य दिवस माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा पर रहना समाप्त हो जाना चाहिये।

(ii) ''प्रशिक्षु'' से तात्पर्य एक व्यक्ति, जो निगम के नियमों के अनुसार एक प्रशिक्षु है अथवा जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रशिक्षु होने की घोषणा की है।

(iii) ''मण्डल'' निगम के निदेशक मण्डल से अभिप्रेत है।

(iv) ''अध्यक्ष'' निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से अभिप्रेत है जिसे आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की धारा 86 के अनुरूप नियुक्त किया हो।

(v) ''सक्षम प्राधिकारी'' इन विनियमनों के अन्तर्गत किन्हीं शक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी से है जिसे निगम द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की जावें।

(vi) ''क्षति–पूरक भत्ता'' उन भत्तों को कहा जाता है जिन्हें विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किये गये व्यय की पूर्ति के रूप में दिया जाता है।

(vii) ''निगम'' दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., जयपुर से अभिप्रेत है।

(viii) ''निदेशक'' निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की धारा 71 के अनुरूप नियुक्त निगम के निदेशक मण्डल का सदस्य अभिप्रेत है।

(ix) ''कर्त्तव्य'' निगम के तहत सेवा के निर्वहन में व्यतीत अवधि से अभिप्रेत है एवं जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :–

(a) (i) परिवीक्षाधीन अथवा शिक्षु के रूप में की गई सेवा, यदि ऐसी सेवा के तुरन्त बाद नियमित सेवा में व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है।

(ii) पद भार ग्रहण अवधि।

(iii)* परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी।

(b) (i) निगम द्वारा प्रायोजित किसी प्रशिक्षण में व्यतीत किया गया समय

(ii) प्रशिक्षण एवं किसी ऐच्छिक अथवा अनिवार्य परीक्षा, जिसमें प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी हो तो ऐसे स्थान पर जाने एवं आने की यात्रा के लिए बिताई गई अवधि।

(x) **''स्थायी नियोजन के कर्मचारी''**

स्थाई नियोजन के कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो निगम में किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करता हो तथा जो किसी स्थाई पद पर अपना पदाधिकार रखता हो या यदि उसका पदाधिकार निलम्बित नहीं किया गया होता तो वह स्थाई पद पर अपना पदाधिकार रखता।

* आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–91 दिनांक 14.7.2006 द्वारा जोड़ा गया।

(xi) ''परिवार'' का तात्पर्य उसकी पत्नी (एक से अधिक पत्नी परिवार में सम्मिलित नहीं की गई है), या उसका पति जो उस पर पूर्ण रूप से निर्भर है, विधिसम्मत संतान, सौतेले बच्चे जो उसके साथ रहते हैं एवं उस पर पूर्णरूप से निर्भर है।

टिप्पणी : (1) ''विधिसम्मत संतान'' से तात्पर्य हिन्दू कानून के अन्तर्गत गोद लिया जाना सम्मिलित होगा।

(2) कर्मचारी जिसकी विधिसम्मत पुत्री, सौतेली पुत्री और बहन जिसका 'गोना' या 'रूखसत' हो चुका है, उसे कर्मचारी पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं माना जायेगा।

(xii) ''प्रथम नियुक्ति'' से तात्पर्य एक व्यक्ति की नियुक्ति जो निगम के तहत नियुक्ति के समय कोई भी पद धारण नहीं कर रहा है यद्यपि वह पूर्व में इस तरह के एक पद का धारक हो सकता है।

(xiii) ''वैदेशिक सेवा'' वैदेशिक सेवा का तात्पर्य उस सेवा अवधि से है जिसमें एक निगम कर्मचारी अपना वेतन तथा सभी भत्ते आदि निगम के स्त्रोत्र के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करता है।

(xiv) ''कार्यालयाध्यक्ष'' से तात्पर्य मुख्यालय के लिए निगम के सचिव अथवा कोई अन्य अधिकारी जिसे मुख्यालय के लिए निदेशक मण्डल द्वारा नामित किया गया हो।

(xv) ''अवकाश'' से तात्पर्य सभी अथवा किसी विशेष कार्यालय के सम्बन्ध में उस दिन से है जिस दिन ऐसा कार्यालय कार्य नहीं करने के लिए निगम के आदेश द्वारा, बन्द घोषित कर दिया जाता है अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट वर्ग के कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(xvi) ''मानदेय'' से तात्पर्य एक निगम कर्मचारी को अनावर्त्तक राशि के रूप में निगम के कोष से आवर्ती या गैर आवर्ती भुगतान से है जो किसी सामयिक अथवा कभी–कभी होने वाले कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है जिसे कर्मचारी के कर्त्तव्यों का वैधानिक अंश के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(xvii) ''पदभार ग्रहण काल'' का तात्पर्य एक कर्मचारी को दिए गए उस समय से है जो उसे नए पद का कार्यभार संभालने के लिये अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां पर वह पद–स्थापित किया गया है, यात्रा के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(xviii) ''अवकाश'' अवकाश केवल कर्त्तव्य–सम्पादन द्वारा अर्जित किये जाते हैं। इसमें उपार्जित अवकाश, प्रसूति अवकाश, असाधारण अवकाश एवं रूग्ण अवकाश सम्मिलित हैं।

(xix) ''अवकाश वेतन'' अवकाश वेतन से तात्पर्य एक कर्मचारी को किसी भी प्रकार की अवकाश अवधि में दी जाने वाली वेतन आदि की राशि से है।

(xx) ''पदाधिकार'' का तात्पर्य किसी कर्मचारी के एक स्थाई पद को धारण करने के उस अधिकार से है एवं ड्यूटी से अनुपस्थित अवधि या अवधियों के समाप्त होने पर सेवा पर पुनः उपस्थित होने के अधिकार से है।

(xxi) ''प्रबन्धन'' से तात्पर्य निगम के संचालक मण्डल से है एवं किन्हीं प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में है।

(xxii) ''प्रबन्ध निदेशक'' निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के धारा 76 के अनुरूप निगम के प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है।

(xxiii) ''चिकित्सा अधिकारी'' से तात्पर्य चिकित्सा अधिकारी जो निगम द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालीन नियुक्त किया गया हो अथवा निगम द्वारा अनुमोदित कोई पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी।

(xxiv) ''माह'' से तात्पर्य एक कलैण्डर माह से है। महीनों व दिनों के रूप में वर्णित अवधि की गणना करने में प्रथमतः पूरे मास गिनने चाहिये, यह अपेक्षा किये बिना कि उस माह में कितने दिन हैं और बाद में दिनों की संख्या जोड़ देनी चाहिये।

(xxv) ''कार्यालय'' से अभिप्रेत है मुख्यालय कार्यालय, इकाई कार्यालय अथवा अन्य कोई कार्यालय जिसे निगम द्वारा भारत में किसी स्थान पर या अन्यत्र स्थापित किया गया हो।

(xxvi) ''स्थानापन्न'' एक कर्मचारी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है जिस पर अन्य कर्मचारी का पदाधिकार हो। यदि निगम उचित समझे तो किसी कर्मचारी को ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार नहीं हो अथवा पद पर नियमित नियुक्ति लम्बित हो।

(xxvii) ''वेतन'' से तात्पर्य एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि एवं जिसे मासिक वेतन के रूप में स्थाई रूप से

अथवा स्थानापन्न रूप से धारण किये गये पद के लिए स्वीकृत किया गया है जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :

(1) व्यक्तिगत वेतन

(2) विशेष वेतन

(3) अन्य राशि जो सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।

(xxviii) ''स्थाई पद'' का तात्पर्य समयावधि के बिना स्वीकृत वेतन की निश्चित श्रृंखला की दर वाले पद से है।

(xxix) ''व्यक्तिगत वेतन'' से तात्पर्य कर्मचारी को स्वीकृत किये गये उस अतिरिक्त वेतन से है जो

(1) जब कोई कर्मचारी किसी स्थाई पद पर कार्य करता है परन्तु वेतन में संशोधन के कारण या अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में उठाये गये कदमों के अतिरिक्त अन्यथा रूप से ऐसे मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करने के लिए व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है, या

(2) अन्य वैयक्तिक कारणों से अपवाद–स्वरूप परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है।

(xxx) ''परिवीक्षाधीन'' परिवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो निगम में स्थाई रूप से एक रिक्त पद पर नियुक्ति से पूर्व परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो।

[†](xxxक) ''परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवा के संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरूद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया जाये और दो वर्ष या, विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के लिए नियत पारिश्रमिक पर प्रशिक्षणाधीन रखा जाये।

(xxxi) ''पद का परिकल्पित वेतन'' जब इसका प्रयोग किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए किया जाता है तो इसका तात्पर्य उस वेतन से है जिसे यदि वह उस पद को स्थायी रूप से धारण करता तो पाने का अधिकारी होता एवं अपना कार्य करता रहता परन्तु इसमें विशेष वेतन उस समय तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक निगम कर्मचारी वह कार्य/कर्त्तव्य नहीं करता/वह जिम्मेदारी नहीं लेता या ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में नहीं पड़ा होता, जिसको ध्यान में रखकर विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था।

(xxxii) ''वरिष्ठ कार्यकारी'' से तात्पर्य वरिष्ठ कार्यकारी जिसे निदेशक मण्डल द्वारा वरिष्ठ कार्यकारी नियुक्त किया गया।

(xxxiii) ''सेवा नियम'' दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेवा नियम से अभिप्रेत है।

(xxxiv) ''निगम के अधीन सेवा'' निगम के अधीन सेवा या निगम के नियंत्रण में किसी भी इकाई के अन्तर्गत सेवा से अभिप्रेत है।

(xxxv) ''विशेष वेतन'' से तात्पर्य निम्न अंकित तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए किसी पद पर एक कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन में अतिरिक्त वृद्धि से है जोः

[†] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–91 दिनांक 14.7.2006 द्वारा जोड़ा गया।

(क) विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य करने के लिये;

(ख) कार्य या उत्तरदायित्व में विशिष्ट वृद्धि होने पर, स्वीकृत किया जाता है; तथा

(ग) स्थान की अस्वास्थ्यकरता जहां कार्य निष्पादन किया जाता है।

(xxxvi) ''राज्य सरकार'' राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है।

(xxxvii) ''निर्वाह अनुदान'' से तात्पर्य एक कर्मचारी को दी गई उस मासिक सहायता से है जिसे वेतन या अवकाश वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा रहा हो।

(xxxviii) ''मूल वेतन'' से तात्पर्य नियम 5 (xxvii) के अन्तर्गत निगम द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य वेतन के अतिरिक्त है और जो वह स्थायी पद पर नियुक्त होने के कारण प्राप्त करने का अधिकारी है।

(xxxix) ''अस्थायी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवाएं निश्चित अवधि के लिए ली गई हैं जिन्हें समय–समय पर विस्तारित किया जा सकता है।

(xL) ''अस्थायी पद'' से तात्पर्य ऐसा अस्थायी पद जो निश्चित समय अवधि के लिए सृजित किया जावे।

(xLi) ''समय–वेतनमान'' से तात्पर्य उस वेतनमान से है जो इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर एक निश्चित अवधि के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम तक चलता हो।

एक पद को दूसरे पद के समय–वेतनमान के समकक्ष उसी स्थिति में कहा जाता है जब दोनों पदों का वेतनमान

समान हो तथा दोनों पदों के व्यक्ति एक संवर्ग में आते हों या किसी संवर्ग के एक वर्ग में आते हों।

(xLii) ''स्थानान्तरण'' का तात्पर्य किसी कर्मचारी का, जहां पर वह नियुक्त है उस स्थान से, अन्य स्थान पर नये पद का कार्यभार संभालने के लिए, अथवा उसके मुख्यालय के स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप प्रस्थान करना है।

(xLiii) ''सचिव'' निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त निगम के सचिव से अभिप्रेत है।

टिप्पणी :

शब्दों और वाक्याशों को जो ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं उनका सन्देह की दशा में वहीं अर्थ होगा जैसाकि समय–समय पर निगम के निदेशक मण्डल/प्रबन्ध संचालक द्वारा दिया गया हो।

अध्याय–III

*6. किसी नियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, निगम सेवा में 20.1.2006 को या इसके पश्चात् की सभी नियुक्तियाँ 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जायेंगी और परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसको ऐसी दरों पर नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो समय–समय पर निगम द्वारा विहित की जायें। परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उसको पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा और परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के लिए नहीं गिना जायेगा।

* आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–911 दिनांक 14.7.2006 द्वारा नया नियम 6 अन्तःस्थापित किया गया एवं वर्तमान नियम 6 को 6 (क) पुनःसंख्याकित किया गया।

★6(क).परिवीक्षाधीन :

किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति एवं जो कर्मचारी एक पद से किसी उच्च पद पर पदोन्नत किये जाएं उन्हें नियुक्ति की तिथि से छः माह की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिसे नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार से बढ़ाया जा सकता है एवं ऐसे पदोन्नत अधिकारी को सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय बिना सूचना के अथवा ऐसा करने का बिना कारण बताये उच्च पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति परिवीक्षाकाल की समाप्ति उपरान्त अपने विभागीय अध्यक्ष के माध्यम से एक आवेदन पत्र स्थाईकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे जिसमें परिवीक्षाकाल में किये गये कार्यों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जब तक स्थाईकरण के आदेश पारित नहीं किये जाते तब तक परिवीक्षाकाल जारी रहेगा। स्थाईकरण निदेशक मण्डल/प्रबन्ध निदेशक के विवेकाधिकार पर व्यक्ति के उपयुक्तता पाये जाने पर निर्भर करेगा। परिवीक्षाकाल की अवधि में बिना सूचना के नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है परन्तु स्थाईकरण के पश्चात् तीन माह के दोनों ओर से नोटिस अथवा उसके उसके स्थान पर तत्संबंधी वेतन के भुगतान करने पर नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है।

7. पदों का सृजन :

निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप निदेशक मण्डल अथवा सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक पद या वर्ग के निर्धारित वेतनमान में समय–समय पर पदों का सृजन (एवं कार्य विनिर्देश निर्धारित) कर सकता है।

★ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–911 दिनांक 14.7.2006 द्वारा नया नियम 6 अन्तःस्थापित किया गया एवं वर्तमान नियम 6 को 6 (क) पुनःसंख्याकित किया गया।

8. नियुक्ति प्राधिकारी :

निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जैसाकि निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रदत्तीकरण की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

9. निदेशक मण्डल अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त की गई चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

‡**10.(अ)** कोई भी व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से उत्तम चरित्र का एक प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा नियुक्त या अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र के बिना, निगम में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण के समय प्रस्तुत किया जायेगा एवं कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में सत्य प्रतिलिपि संधारित की जायेगी।

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने ..... जो कि दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड में नियुक्ति के लिये प्रत्याशी है, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है तथा मुझे ..... के अतिरिक्त ऐसी कोई बीमारी, शारीरिक निर्बलता या दोष प्रतीत नहीं हुआ है। मैं निगम में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझता। प्रत्याशी की आयु उसके/उसकी स्वयं के कथनानुसार ..... वर्ष है एवं लगभग ..... वर्ष प्रतीत होती है।

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी

‡ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./267 दिनांक 3.2.1977 द्वारा संशोधित किया गया।

(ब) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे पूर्व में निगम की सेवा अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग अथवा अन्य राज्य सरकारों अथवा अन्य सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त कर दिया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त कर दिया गया हो।

(स) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो ऐसे अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक धृष्टता सम्मिलित हो।

(द) कोई पुरूष व्यक्ति जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा जो जीवित जीवनसाथी के होते हुए शादी करता है और जिसका इस तरह का विवाह इसलिए अमान्य ठहराया गया हो कि उसके द्वारा ऐसे जीवनसाथी के जीवनकाल में शादी की है, निगम में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(य) कोई महिला जिसका विवाह इस कारण से अमान्य ठहराया गया हो कि उसके पति की ऐसी शादी से पूर्व जीवित पत्नी थी अथवा जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके ऐसे विवाह के समय पहले से ही कोई जीवित पत्नी है निगम सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब निदेशक मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छूट दे दी गई हो।

(र) कोई व्यक्ति जिसके तीन से अधिक उत्तरजीवी संतान है निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा चाहे ऐसी नियुक्ति प्रतियोगिता के माध्यम से या अन्यथा हो जिसमें पदोन्नति से नियुक्ति भी सम्मिलित है। सिवाय इसके कि

(i) 55 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला

(ii) 55 वर्ष से कम आयु के पुरूष जो स्वयं की अथवा पत्नी की नसबंदी करवा चुके हैं।

(iii) 45 वर्ष से कम आयु की महिलायें जिन्होंने स्वयं की नसबंदी करवा ली है या उनके पति द्वारा नसबंदी करवाई गई।

(iv) विवाहित व्यक्तियों जिनके रोजगार की प्रार्थना करने के दिन से पूर्व 10 वर्षों में कोई सन्तान नहीं।

11. प्रथम नियुक्ति पर आयु :

(अ) एक व्यक्ति जिसकी आयु 31[§] वर्ष से अधिक है सामान्यतया निगम की स्थायी सेवा के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। सक्षम प्राधिकारी, हालांकि, वैयक्तिक कारकों में अथवा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्दिष्ट पदों के मामले में प्रवेश की आयु को शिथिल कर सकते हैं।

(ब) कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है निगम में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

12. निगम की सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी रीति में नियोजित किया जा सकता है एवं उसका सम्पूर्ण समय किसी भी दावे के बिना निगम के निष्पादन पर रहेगा।

परन्तु कि किसी भी महिला को रात के दौरान कर्मचारी के रूप में या अन्यथा कार्य करने की न ही अपेक्षा की जायेगी और न ही अनुमति दी जायेगी।

परन्तु ओर कि किसी भी महिला को मालूम होते हुए कि जिस दिन उसने एक संतान को जन्म दिया है के अगले दिन से छः सप्ताह की अवधि में न तो नियुक्त किया जायेगा और न ही नौकरी में लिया जायेगा।

बशर्ते कि किसी भी महिला कर्मचारी को जो निगम में नियुक्त है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है को जब वह अपने बच्चे का पोषण कर रही

---

§ 28 वर्ष के स्थान पर आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./8339–8438, दिनांक 20.8.1986 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

है तो उसे इस प्रयोजन हेतु कार्य दिवसों में नियमित मध्यांतर के अतिरिक्त आधे घंटे का अवकाश, दिन में दो बार, स्वीकार किया जायेगा।

13. एक कर्मचारी एक ही समय, अस्थाई रूप से नियुक्ति के अतिरिक्त, दो या दो से अधिक पदों पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकेगा एवं एक कर्मचारी को किसी ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो।

14. पदाधिकार :

एक कर्मचारी किसी स्पष्ट रूप से रिक्त स्थाई पद पर, स्थाई रूप से नियुक्त किये जाने पर उस पद पर अपना पदाधिकार प्राप्त कर लेता है तथा तत्पश्चात्, किसी अन्य पद पर पूर्व में अर्जित पदाधिकार समाप्त हो जाता है।

15. भविष्य निधि के लिए अंशदान :

निगम कर्मचारी को निगम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान देना आवश्यक होगा।

16. वेतन एवं भत्ते की शर्तें :

जिस दिन से एक कर्मचारी अपने पद का कार्यभार सम्भालेगा, वह उस दिन से नियमानुसार पद का वेतन तथा देय भत्ता प्राप्त करेगा और जैसे ही वह उन सेवाओं को करना बन्द करेगा उसे वेतन व भत्ता मिलना बन्द हो जायेगा।

परन्तु कि पद का कार्यभार ग्रहण करते समय उसके साथ देय वेतन एवं भत्तों को उसी दिन से प्राप्त करना प्रारम्भ करेगा जिस दिन से वह कार्यभार ग्रहण करता है यदि उस दिन कार्यभार मध्यान्ह पूर्व सम्भाला गया हो।

17. जब तक कि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित किया हो, तब तक किसी पद का भार उसके मुख्यालय पर ही हस्तान्तरित करना चाहिए, जहां पद–भार से मुक्त करने वाला तथा पद–भार सम्भालने वाला दोनों कर्मचारी उपस्थित हों।

18. प्रत्येक कर्मचारी को जिसका किसी विशिष्ट निर्धारित समय के लिए प्रशिक्षण में जाने हेतु चयन हो, स्वतन्त्र रूप से उस पद का कार्यभार सम्भालने से पूर्व, निगम प्रबन्ध द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध भरना होगा।

19. **(अ)** किसी कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक अवधि का निरन्तर रूप में, किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ब) जब तक कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी अन्य प्रकार के आदेश न दे, कर्मचारी को सेवा से त्याग किया समझा जायेगा एवं उसका निगम सेवा से विच्छेद होगा, यदि वह

(i) निरन्तर पांच वर्ष तक अवकाश पर रहने के उपरान्त भी अपने पद पर उपस्थित नहीं होता है, अथवा

(ii) अवकाश की समाप्ति के पश्चात् कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है अन्यथा विदेश सेवा के सिवाय या निलम्बन के आदेश के कारण, किसी भी अवधि के लिए उसे स्वीकृत किये गये अवकाश की अवधि के साथ मिलकर जो पांच वर्ष से अधिक है।

20. जब तक कि नोटिस की अवधि अन्यथा सहमति से निर्धारित की गई हो, निगम के एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा किसी भी समय बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।

20(क).[**] **राजनीति और चुनावों में भाग लेना :**

1. कोई भी निगम कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा या राजनीति में भाग लेने वाले किसी दल या संगठन के साथ किसी अन्य प्रकार से संबद्ध नहीं होगा अथवा किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, उसे सहायतार्थ चन्दा नहीं देगा या उसकी किसी भी अन्य प्रकार से सहायता नहीं करेगा।

2. प्रत्येक निगम कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधियों में, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति विद्रोह की भावना से प्रेरित हो या ऐसा जान पड़े तथा विधि द्वारा ऐसा स्थापित हो चुका हो और जहां भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी भी अन्य प्रकार से सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, तो वह इस संबंध में निगम को सूचना देगा।

3. कोई दल राजनैतिक दल है अथवा नहीं, या कोई संगठन राजनीति में हिस्सा लेता है अथवा नहीं, या कोई आन्दोलन या गतिविधि उप नियम (2) के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आती है अथवा नहीं, इस संबंध में संदेह होने पर निगम का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

4. कोई भी निगम कर्मचारी किसी विधानसभा या स्थानीय प्राधिकरण के चुनावों के लिए प्रचार नहीं करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा या चुनावों के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा या चुनाव में भाग नहीं लेगा,

---

[**] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टें./21090–21070 दिनांक 30.10.1979 द्वारा जोड़ा गया।

परन्तु कि

(i) कोई निगम कर्मचारी यदि ऐसे चुनावों में मत देने के योग्य हो तो वह अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है और यदि वह मत देता है तो इस संबंध में वह कोई संकेत नहीं देगा कि वह किसे मत देने का इरादा रखता है या उसने किसे मत दिया है।

(ii) यदि किसी निगम कर्मचारी पर उस समय लागू विधि द्वारा उसके अधीन चुनाव का विधिवत संचालन करने की ड्यूटी लगाई जाए, तो चुनाव के संचालन में केवल सहायता करने मात्र को ही उप नियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण :

यदि कोई निगम कर्मचारी स्वयं अपने ऊपर या अपने वाहन अथवा आवास पर कोई चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करता है तो इसे उपनियम के अर्थ में चुनाव के संबंध में अपना प्रभाव इस्तेमाल करना माना जाएगा।

टिप्पणी (i) ऐसा निगम कर्मचारी जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि उच्च अधिकारी था उच्च पदस्थों द्वारा या उनकी और से उसे इस नियम के प्रावधान तोड़ने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तो वह राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को तथ्यों से अवगत करवायेगा।

(ii) चुनाव में किसी उम्मीदार के नामांकन को प्रस्तावित करना या उसका समर्थना करना अथवा मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेना समझा जायेगा।

अध्याय–IV

21. एक कर्मचारी उसके द्वारा धारित पद का वेतन आहरित करेगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

22. प्रथम नियुक्ति पर वेतन :

एक कर्मचारी का वेतन निगम सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के समय, उस पद के वेतनमान जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है, के टाईम स्केल (समय–वेतनमान) के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा या अगर पद नियत वेतन में स्वीकृत है तब नियत वेतन देय होगा।

परन्तु यह कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर टाईम स्केल (समय–वेतनमान) लागू है एवं उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व निरन्तर सेवा जो दो वर्ष से कम न हो, केन्द्रीय सरकार के विभाग/किसी राज्य की सरकार के विभाग या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी क्षेत्र के उपक्रम में पूर्ण की है तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से उस पद के लिए निर्धारित टाईम स्केल (समय–वेतनमान) में ऐसी स्टेज पर जो उसके उस विभाग/उपक्रम के अंतिम आहरित भुगतान से अगले उच्च वेतन के बराबर हो पर स्थिर कर सकता है। एवं इसके अतिरिक्त अपने विवेकाधिकार से अग्रिम वेतन वृद्धियां जो पांच वेतन वृद्धि से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकता है।

और यह भी कि किसी भी दशा में टाईम स्केल (समय–वेतनमान) के अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होगा।

22(क)[⊕]परन्तु यह और की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी ऐसी दरों पर नियत पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो समय–समय पर निगम द्वारा विहित की जायें और उसको परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के दिन के अगले दिन से, इस नियम के अधीन पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा।

23. पदोन्नति एवं उच्च पद पर नियुक्ति का वेतन विनियमन

(i) जब एक कर्मचारी एक पद को स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में धारण कर रहा हो और उसे एक उच्च पद पर सेवा की नियमित पंक्ति में स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्च पद पर उसका प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा पूर्व के पद पर प्राप्त वेतन में, उससे आगे की दर वाली एक वेतन वृद्धि के समान धनराशि जोडकर जो परिकल्पित वेतन बने उसके आधार पर उच्च वेतनमान में आगामी स्तर पर स्थिर किया जायेगा।

[††](ii) जब एक कर्मचारी का वेतन उपर्युक्त उपनियम (i) के अन्तर्गत स्थिर हो जाता है तो उसे आगामी वेतन वृद्धि उसी दिनांक से स्वीकृत की जायेगी जिसको यदि वह निम्न वेतनमान वाले पद पर ही बना रहता तो प्राप्त करता, किन्तु जहां पदोन्नति पर एक कर्मचारी का वेतन उच्च वेतनमान के न्यूनतम पर स्थिर किया

[⊕] नियम 22 (क) आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–911 दिनांक 14.7.2006 द्वारा नियम 22 के अन्त में जोडा गया।

[††] आदेश संख्या आरएसआईसी/संस्थापन/9888–9967 दिनांक 20.10.1986 द्वारा

''परन्तु कि जब एक कर्मचारी उच्च पद पर अपनी पदोन्नति के समय नीचे के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उसका वेतन नीचे के पद के वेतनमान में अधिकतम स्तर के वेतन से आगामी स्तर पर स्थित किया जायेगा।''

के स्थान पर प्रतिस्थापित।

जाता है तथा ऐसे स्थिरीकरण से कर्मचारी द्वारा निम्न–वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से आगे की वेतन वृद्धि की दर तथा उच्च वेतनमान में न्यूनतम से आगे की दर को सम्मिलित किया जायेगा। उसे पदोन्नति के बाद आगामी वेतन वृद्धि एक पूर्ण वेतनवृद्धि काल के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।

परन्तु कि जब एक निगम कर्मचारी उच्च पद पर अपनी पदोन्नति के समय नीचे के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उच्च पद के वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन, नीचे के पद के अधिकतम वेतन में, अधिकतम से तुरन्त पूर्व की वेतन वृद्धि की दर से समान धनराशि जोड़कर बनाये गये परिकल्पित वेतन के आधार पर उच्च वेतनमान में आगामी स्तर पर स्थित किया जायेगा।

©(iii) परन्तु यह भी कि ऐसे निगम कर्मचारी को, जो पहले ही निगम की नियमित सेवा में है, यदि वह 20.1.2006 को या उसके पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाये, पूर्व पद के उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन या ऐसी दरों पर जो निगम द्वारा समय–समय पर विहित की जायें, नियत वेतन जो भी उसको लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जायेगा और परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् उसका वेतन नियम 23 के उपबंधों के अनुसार नये पद के वेतनमान में नियत किया जायेगा।

©(iv) परन्तु परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को पूर्व पद के उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन या नियम 22 के उपबंधों के अनुसार नियत पारिश्रमिक अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा

© आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–911 दिनांक 14.7.2006 द्वारा जोड़ा गया।

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् उसका वेतन इस नियम के उपबंधों के अधीन–नियत किया जायेगा।

24. वार्षिक वेतन वृद्धि :

जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिसे ऐसी वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार है, वार्षिक वेतन वृद्धि रोक नहीं दी जाये, तब तक एक समय वेतनमान में होने वाली सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि सदैव सामान्य रूप से मिलती रहेगी।

परिवीक्षा अथवा परिवीक्षाधीन पर नियुक्त को वार्षिक वेतन वृद्धि निम्न प्रकार विनियमित की जायेगीः–

(i) परिवीक्षा अवधि में कोई वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(ii) परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद प्रभावशील स्थायीकरण की आज्ञा जारी होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि जो सामान्य रूप से देय होती, पूर्व प्रभाव से स्वीकृत कर दी जायेगी।

(iii) परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद किसी तारीख से प्रभावशील स्थायीकरण की आज्ञा जारी होने पर तथा उस आज्ञा द्वारा परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की गई हो तो वेतन वृद्धि जो सामान्य रूप से देय होती वह पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेगी किन्तु प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के प्राप्त होने की सामान्य तारीख उतने ही दिनों पश्चात् निर्धारित की जायेगी जितने समय की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की गई हो।

‡‡(iv) निगम कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, जिस माह में वह साधारण नियमों एवं वेतन वृद्धि को नियमित करने वाले आदेशों के अधीन

‡‡ आदेश संख्या आरएसआईसी/संस्थापन/30518–23 दिनांक 23.12.74 द्वारा जोड़ा गया।

अर्जित होती है, उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार की जा सकती है।

§§**24(क)** नियम 24 के उपबन्ध परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी पर लागू नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात्, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि की वार्षिक वेतनवृद्धियां अर्जित नहीं होंगी।

25. वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु सेवाकाल की गणना की शर्तें :

एक समय–वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गिने जाने वाली सेवा अवधि की शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :–

(अ) किसी समय–वेतनमान में किसी पद पर की गई समस्त सेवा अवधि।

(ब) निम्न वेतनमान वाले पद के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, जिस पर कर्मचारी का अदक्षता या दुर्व्यवहार के कारण स्थानान्तरण या स्वयं की लिखित निवेदन, चाहे वह नियुक्ति स्थाई हो अथवा स्थानापन्न।

(स) प्रतिनियुक्ति सेवा एवं असाधारण अवकाश को छोड़कर समस्त अवकाश की अवधि उस पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के लिए गिनी जावेगी जिस पर एक कर्मचारी पदाधिकार रखता हो अथवा ऐसा पद, यदि हो, जिस पर वह अपना पदाधिकार रखता, यदि निलम्बित नहीं किया जाता। अवकाश एवं प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद पर प्रयोज्य समय–वेतनमान में गिनी जाएगी, जिसमें कोई कर्मचारी उस समय जब वह अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर रवाना हुआ था, स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था तथा जो यदि

---

§§ कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–911 दिनांक 14.7.2006 द्वारा वर्तमान नियम 24 के उपरान्त 24(क) जोड़ा गया।

अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान नहीं करता तो स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता।

टिप्पणी :

परन्तु यह कि अगर सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि ऐसा अवकाश रूग्णता के कारण लिया गया था या किसी दूसरे कारण से जो कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर था अथवा वैज्ञानिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा के प्रयोजनार्थ लिया गया था तो यह आदेश दे सकेगा कि असाधारण अवकाश वेतन वृद्धियों के लिए गिना जाएगा।

(द) यदि कोई कर्मचारी जब वह एक समय–वेतनमान वाले एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो अथवा स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तथा उसकी नियुक्ति उच्च अस्थाई पद पर की गई हो या उस उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया हो तथा यदि वह नीचे के पद पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है या अपने वेतनमान में अन्य पद पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो उसकी उच्च पद की स्थानापन्न या अस्थाई सेवा नीचे वाले वेतनमान में भी वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाती है, उस अवधि तक सीमित रहेगी जिसमें कर्मचारी नीचे के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता किन्तु उसकी पदोन्नति उच्च पद पर होने के कारण वह नहीं कर सका। यह खण्ड एक ऐसे कर्मचारी पर भी प्रभावी होता है जो वास्तव में उच्च पद पर नियुक्ति के समय नीचे के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य नहीं करता हो किन्तु यदि वह उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता तो वह ऐसे निम्न पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता रहता या उसी के समान वेतनमान में किसी पद पर कार्य करता रहता।

(य) (i) यदि नये पद का जिस पर कर्मचारी की पुराने पद पर रहते हुए नियुक्ति हुई हो या सीधे ही उस पद का कार्यभार त्यागने पर कार्य ग्रहण करने के लिए कार्य ग्रहण समय स्वीकार किया जाता है ऐसे पद पर प्रयोज्य

समय–वेतनमान में जिस पर एक कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता हो अथवा यदि उसका पदाधिकार निलम्बित नहीं किया जाता तो वह अपना पदाधिकार रखता, इसके अतिरिक्त ऐसे पद पर प्रयोज्य समय–वेतनमान में जिसका वेतन कर्मचारी द्वारा उस अवधि के दौरान प्राप्त किया गया तो ऐसी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए की जावेगी।

(ii) यदि अवकाश से लौटने पर नये पद का कार्य ग्रहण करने के लिए कार्यग्रहण समय स्वीकार किया जाता है अथवा जब कर्मचारी को अवकाश से लौटने पर नये पद पर नियुक्ति का पर्याप्त नोटिस नहीं हो, तब पद के प्रयोज्य समय–वेतनमान में अवकाश के अन्तिम दिन यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व यात्रा काल को वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है।

26. अपरिपक्व वेतन–वृद्धियां :

सक्षम प्राधिकारी जो विशिष्ट वेतनमान में एक संवर्ग में पदों के सृजन करने की शक्ति रखता है, वह विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत उस वेतनमान में अपरिपक्व वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर सकता है जिसमें व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति न्यायोचित प्रतीत हो। आगामी वेतन वृद्धि उस तारीख को स्वीकृत की जायेगी जब कर्मचारी नये वेतनमान में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो।

•26(क) वरिष्ठ कर्मचारी की वेतन वृद्धि

(1) जहां एक कनिष्ठ कर्मचारी संशोधित वेतनमान जो दिनांक 1.9.1986 अथवा 1.9.1988 से प्रभावशील हुए हैं, उसके वेतन के स्थिरिकरण के बाद उच्चतर पद पर पदोन्नति किये जाने के फलस्वरूप उस वरिष्ठ कर्मचारी से, जिसे दिनांक 1.9.1986 या

• आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./10704–83 दिनांक 21.7.92 द्वारा जोड़ा गया।

1.9.1988 से वेतनमानों में संशोधन से पूर्व जिसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया था, उच्चतर वेतन प्राप्त करना प्रारम्भ कर देता है तब वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उच्चतर पद के संशोधित वेतनमानों में कनिष्ठ कर्मचारी के निर्धारित वेतन के समान राशि तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन, यह वृद्धि वरिष्ठ कर्मचारी की स्थाई रूप से नियुक्ति करने को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उसी तारीख से की जानी चाहिए जिसको कनिष्ठ कर्मचारी अधिक वेतन प्राप्त करना प्रारम्भ करता हैः–

(क) कनिष्ठ और वरिष्ठ निगम कर्मचारी दोनों एक ही संवर्ग के होने चाहिए और पद जिस पर उनकी पदोन्नति हुई है, एक ही संवर्ग में समान वेतनमान में होना चाहिए।

(ख) निचले पद और उच्च पद के 1.9.1986 या 1.9.1988 से पूर्व प्रवृत्त वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1987/1989 के अधीन उनके तत्समान वेतनमान, जिनमें वे वेतन लेने के हकदार हैं, समान होने चाहिए।

(ग) विसंगति दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के सेवा नियमों के नियम 23 के उपबंधों को लागू करने का सीधा परिणाम होनी चाहिए।

(घ) यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन प्रकरण के कनिष्ठ/वरिष्ठ कर्मचारियों के बीच वरीयता सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है तथा वरीयता सूची भी प्रोविजनल नहीं है।

(ङ) जहां कनिष्ठ अधिकारी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के कारण इन आज्ञाओं के अधीन वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढाया जाता है, तो यह वृद्धि इस शर्त के साथ की जा सकती है कि यदि कनिष्ठ कर्मचारी तदर्थ पदोन्नति नियमानुसार नियमित नहीं हो पाती है और वह पदावनत हो जाता है तो कनिष्ठ कर्मचारी के पदावनत होने की तारीख से वरिष्ठ अधिकारी का वेतन भी पुनः उसी स्तर

पर निर्धारित किया जा सकेगा, जिस स्तर पर वह वेतन बढ़ाये जाने के पूर्व प्राप्त कर रहा था।

इस निर्णय के प्रावधान, निम्नलिखित मामलों में वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिये प्रभावी नहीं किये जायेंगे :–

(अ) जहां कनिष्ठ कर्मचारी अवकाश रिक्ति अथवा उच्च–पद के धारक के 120 दिन से अनधिक की अवधि तक प्रशिक्षण पर जाने के कारण हुई रिक्ति के दौरान रिक्त हुए पद पर कार्य करता हो या किसी अन्य परिस्थिति में जहां उच्च पद केवल 120 दिन की अवधि तक धारित किया गया हो।

(ब) जहां कनिष्ठ कर्मचारी, अर्हताएं रखने या विहित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने ऐसे किसी भी अन्य कारण से जो राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज लि0 के सेवा नियमों के नियम 26(क) के अधीन या संशोधित वेतनमान नियम 1987 या 1989 के अधीन वेतन निर्धारण न हो, अग्रिम वेतन वृद्धि की मंजूरी या उच्चतर प्रारम्भिक वेतन की मंजूरी के कारण पहले ही वरिष्ठ से उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(स) जहां कनिष्ठ कर्मचारी किसी भिन्न संवर्ग/श्रेणी में पद धारण करता है तथा अन्य पद पर, जिस पर वरिष्ठ कर्मचारी पूर्व से ही नियुक्त है, उसके संवर्ग/श्रेणी से भिन्न अन्य संवर्ग/पदों की श्रेणी में होने पर भी, नियुक्त किया जाता है।

(2) इस निर्णय के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन को पुनः निर्धारित करने के आदेश इन नियमों के अनुसरण में जारी किये जायेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी की आगामी वेतन–वृद्धि राजस्थान स्माल

इण्डस्ट्रीज लि. के सेवा नियम 31 के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर दी जायेगी।

27. दण्ड के रूप में निम्न पद पर स्थानान्तरण किये जाने पर वेतनः

जब किसी कर्मचारी को दण्ड के रूप में एक पद के वेतनमान से निम्न पद पर या उसी वेतनमान के निम्न स्तर पर स्थानान्तरण करता है, तब वह उस कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी कोई भी वेतन, उचित समझकर, स्वीकृत कर सकता है, किन्तु वह वेतन निम्न–पद अथवा श्रेणी के अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होगा।

28. स्थानापन्न नियुक्तियां :

नियुक्तियों के संयोजन के मामलों को छोड़कर, एक कर्मचारी जिसे एक पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है, वह सावधि पद के अतिरिक्त स्थाई पद के मूल वेतन से अधिक वेतन नहीं प्राप्त करेगा जब तक उसको स्थानापन्न नियुक्ति में सावधि पद के अतिरिक्त उस पद के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके अपने पद से अधिक नहीं हो एवं जब तक कि स्थानापन्न पद का वेतनमान सावधि पद के वेतनमान से अधिक हो।

जहां एक कर्मचारी किसी पद पर अपने स्वयं के पद के कार्यों के अतिरिक्त दूसरे पद के कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति निम्नानुसार विनियमित की जायेगीः

(1)*	जहां वह पद उस पद के अधीन हो सकता है जिसे वह धारण कर रहा हो।	कर्मचारी जो कुछ प्राप्त कर रहा है उसे उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जावेगा।

* कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./98–99/20010–20099 दिनांक 26.11.1998 द्वारा शब्द एवं अंकों 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के स्थान पर शब्द एवं अंक क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत प्रतिस्थापित किये गये।

(2)*	जहां वह पद उसके द्वारा धारित पद के समकक्ष या निम्न (किन्तु अधीन नहीं) हो सकता है।	कर्मचारी को अपने स्वयं के पद का वेतन तथा दूसरे पद के परिकल्पित वेतन अर्थात् चालू वेतन के योग के 3* प्रतिशत से अनधिक का विशेष वेतन, स्वीकृत किया जा सकता है यदि दोहरी कार्य व्यवस्था 60 दिनों तक किन्तु 30 दिवस या उसके अधिक के लिये हो और यदि दोहर कार्य व्यवस्था की अवधि 60 दिनों से अधिक हो तो दूसरे पद के परिकल्पित वेतन से अनधिक का विशेष वेतन आहरित करना अनुज्ञात किया जा सकता है।
(3)*	जब वह पद जो धारण किये गये पद से उच्च हो सकता है।	यदि उच्च पद का कार्यभार 60 दिनों से अधिक समय के लिए सम्भाला हो तो निम्न पद के परिकल्पित वेतन का 6* प्रतिशत विशेष वेतन अनुज्ञात किया जा सकता है अथवा उच्च पद का कार्यभार 30 दिन तक सम्भालता है तो उसे अपने मूल वेतन का 3* प्रतिशत विशेष वेतन अनुज्ञात किया जा सकता है।

किसी भी मामले में इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था 6 माह से अधिक समय के लिये प्रभावी नहीं होगी।

टिप्पणी :

एक पद दूसरे पद के अधीन तभी समझा जायेगा जब एक पद के कर्मचारी का कार्य दूसरे पद वाले कर्मचारी द्वारा देखा जाता है या निरीक्षण किया जाता है तथा दोनों पद एक ही कार्यालय में हों। यदि एक अधिकारी अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त किसी अराजपत्रित पद का कार्यभार भी सम्भाले, तो उसे 'अपने पद के अधीन पद का कार्यभार' सम्भाला हुआ समझा जाना चाहिए, यदि अराजपत्रित पद उसके सीधे नियंत्रण में हो।

29. अस्थाई पद का वेतन :

एक अस्थाई पद पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे पद का न्यूनतम वेतन ग्रहण करेगा परन्तु जब ऐसा पद ऐसे व्यक्ति से भरा गया हो जो पूर्व में निगम सेवा में हो तो उस पद का वेतन, उस आवश्यक न्यूनतम पर निर्धारित किया जावेगा जिससे उस पद का वेतन सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाये।

30. निजी कार्य करने की अनुमति :

निगम की सक्षम स्वीकृति के साथ कोई कर्मचारी किसी सरकारी या निजी या सार्वजनिक संस्था का कार्य कर सकता है तथा उससे शुल्क प्राप्त कर सकता है परन्तु कि कार्य सम्पादित करने वाले कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य सम्पादित करने से उसके निगम कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है।

परन्तु कि निगम इस तरह के आवर्ती या अनावर्ती शुल्क के किसी भी भाग को निगम कोष में जमा कराने के लिए कर्मचारी को आदेशित कर सकता है।

31. मानदेय की स्वीकृति :

निगम किसी कर्मचारी को किसी कार्य के लिए निगम की निधि से मानदेय स्वीकृत कर सकती है यदि वह कार्य आकस्मिक या कभी–कभार

प्रकृति का हो अथवा विशेष परिश्रम का हो या ऐसी विशेष योग्यता का हो जिसके लिए ऐसा मानदेय देना औचित्यपूर्ण माना जावे। मानदेय की स्वीकृति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है कि उसके कार्य में अस्थाई वृद्धि हो गई है जिसे पूरा करने का कर्मचारी का वैधानिक कर्त्तव्य माना जा सकता है।

31(अ)[ϕ] व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने पर नगद प्रोत्साहन :

निगम में स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी द्वारा अनुसूची–। में अंकित व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने पर राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन कर्मचारी नगद प्रोत्साहन (व्यवसायिक योग्यता) निगम, 1981 की अनुसूची में अंकित राशि नगद प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत की जा सकती है।

32. बिना विशिष्ट आज्ञा के स्वीकार्य भुगतान :

एक कर्मचारी को सार्वजनिक प्रतियोगिता में किसी निबन्ध अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयासों से आय के लिए या सेवा के दौरान उसके द्वारा अर्जित ज्ञान की सहायता से उनके द्वारा लिखित पुस्तक की बिक्री से आय प्राप्त कर सकता है परन्तु कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि ऐसी किताब अथवा किताबें निगम के नियमों, विनियमनों या प्रक्रियाओं का संकलन नहीं है।

[ϕ] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./3291–3390 दिनांक 30.5.1981 द्वारा जोड़ा गया नगद प्रोत्साहन स्वीकृत करने के नियम की प्रति इन नियमों के साथ संलग्न है।

अध्याय – V

निलम्बन

33. निलम्बन के दौरान निर्वाह भत्ते का मापन :

एक कर्मचारी निलम्बन के दौरान निम्नलिखित भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगाः

(1)	निलम्बन अवधि के दौरान प्रथम बारह माह	निर्वाह भत्ते के रूप में उसे अर्द्ध वेतन अवकाश की राशि के समान, जिसे वह कर्मचारी यदि अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहता तो प्राप्त करता, मिलेगा। ऐसे अर्द्ध वेतन पर देय महंगाई भत्ता पृथक से प्राप्त होगा।
(2)	प्रथम बारह माह से अधिक निलम्बन की अवधि	(अ) निर्वाह भत्ते की राशि प्रथम बारह माह की अवधि में देय निर्वाह भत्ते की राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढाई जा सकती है यदि प्राधिकारी के विचार में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढ़ाई गई हो, जिनको लेखबद्ध किया जायेगा, और वे कारण प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी के किसी दोष के कारण नहीं हों; अथवा
		(ब) निर्वाह भत्ते की राशि विवेकानुसार घटाई भी जा सकती है, किन्तु यह राशि प्रथम बारह माह की अवधि में

		देय निर्वाह भत्ते की राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं घटाई जा सकती है, वह भी जब यदि उक्त प्राधिकारी के विचार में निलम्बन की अवधि प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी के कारण बढ़ाई गई हो।
		(स) महंगाई भत्ते की दरें उपर्युक्त उपखण्ड 2 (अ) एवं (ब) के अन्तर्गत देय निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई/घटी हुई राशि, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार निर्धारित होगी।
		(द) कोई अन्य क्षतिपूरक भत्ता जो कर्मचारी अपने निलम्बन के दिन, देय वेतन के आधार पर, समय–समय पर निर्धारित प्राप्त कर रहा हो, वह भी उसे प्राप्त होगा। बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा सत्यापन किया जाये कि वह उस व्यय को कर रहा है जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था। जब निलम्बित कर्मचारी का मुख्यालय लोकहित में बदला जाये तब उसे क्षतिपूरक भत्ता उस मुख्यालय पर देय भत्ते के समान प्राप्त करेगा।

34. पुनःस्थापित पर वेतन एवं भत्ते :

ऐसी स्थिति में पुनःस्थापन की आज्ञा देने वाला सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा तथा कर्मचारी को निलम्बन अवधि के दिये जाने वाले वेतन एवं भत्तों के बारे में विशिष्ट आज्ञा जारी करेगा एवं कि निलम्बन की अवधि कर्त्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जावेगी अथवा नहीं।

35. निलम्बन काल में किसी कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की ऐसी अनुमति अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में जांच की स्थिति एवं कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण उसकी प्रगति में संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर उचित समय के लिए दी जावेगी।

36. अनिवार्य (अधिवार्षिकी) आयु पर सेवानिवृत्ति :

(अ)[δ] अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजन के लिए निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी।

[δ] कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2008–09/7699–7734 दिनांक 30.8.2008 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित :

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजन के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 60 वर्ष होगी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी के मामले में 58[**] वर्ष होगी।

परन्तु कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी को निगम हित में निदेशक मण्डल की स्वीकृति उपरान्त, सेवानिवृति आयु के पश्चात् एवं सेवा में रखा जा सकता है। परन्तु किसी भी दशा में लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए 60[**] वर्ष की आयु के उपरान्त नहीं रखा जायेगा।

(अ) कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह होगी जब वह 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर लें।

(ब) जिस दिन कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, वह 'अकार्य दिवस' माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा पर रहना समाप्त हो जाना चाहिए।

[**] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./8339–8438 दिनांक 20.8.1986 द्वारा :

(i) नियम 36 (क) में शब्द एवं आंकड़ों '58' एवं '55' को शब्द एवं आकड़ों '60' एवं '58' में क्रमशः प्रतिस्थापित किया गया।

(ब) कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख उस माह की अन्तिम दिवस (अपरान्ह) में होगी जिसमें वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है।

परन्तु कि कोई कर्मचारी जिसकी वास्तविक जन्म तारीख उस माह का प्रथम दिन है, वह पूर्ववर्ती माह के अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।

36(क)[***] 20 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :

(अ) निगम कर्मचारी ने जब 15[†††] वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जो भी पहले हो तो या उसके बाद किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को न्यूनतम तीन माह का पूर्व में लिखित नोटिस दे कर सेवा से निवृत्त हो सकेगा।

परन्तु कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे निगम कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की अनुमति को रोक सकेगा :

(i) जो निलम्बित है;

(ii) जिसके मामले में प्रमुख शास्ति आरोपित करने के लिए अनुशासी कार्यवाही विचाराधीन या अपेक्षित है तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासी प्राधिकारी का मत यह है कि ऐसी

(ii) शब्द एवं आकड़े '58' वर्ष जो उपरोक्त नियम में दर्शाये गये हैं, को '60' वर्ष शब्द एवं आकड़ों में प्रतिस्थापित किया गया।

परन्तु और भी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु के उपबन्ध ऐसे निगम कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होंगे जो, अनिवार्यसेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पश्चात् या तो पुनर्नियोजन पर या सेवा के विस्तार पर, सेवा में हैं।

[***] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./8339–8438 दिनांक 20.8.1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

[†††] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2000–01/13688–13768 दिनांक 16.9.2000 द्वारा ''20'' की संख्या के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

अनुशासी कार्यवाही का परिणाम सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी की शास्ति आरोपित करना हो सकता है;

(iii) जिसके मामले में न्यायालय में अभियोग चलाया जाना अपेक्षित है या प्रारम्भ किया जा सकता है।

(ब) जिस निगम कर्मचारी ने इस नियम की धारा (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया है वह नोटिस स्वीकृत किये जाने की उपधारणा कर सकता है एवं सेवानिवृत्ति नोटिस की शर्तों के अनुसार स्वतः प्रभावी हो जायेगी। यदि सक्षम अधिकारी नोटिस की उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व अन्यथा रूप से कोई लिखित में आदेश जारी नहीं करे जो कर्मचारी को प्राप्त हो गया हो।

(स) यदि कोई निगम कर्मचारी इस नियम के अधीन, जब वह अदेय अवकाश पर हों, ड्यूटी पर लौटे बिना सेवानिवृत्ति चाहता है, तो सेवानिवृत्ति अदेय अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उस अवकाश के संबंध में भुगतान किया गया अवकाश वेतन उससे वसूल किया जाएगा।

(द) जो निगम कर्मचारी इस उप नियम की धारा (अ) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करना चाहता है निम्न का हकदार होगा :

⊕1. भविष्य निधि विनियमनों/स्कीम के अन्तर्गत भविष्य निधि खाते में देय शेष राशि।

⊕ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2010–11/488–523 दिनांक 17.4.2011 द्वारा निम्नलिखित नियम 36(क) – (द) [(i) से(iv)] के स्थान पर प्रतिस्थापित :

2. निगम नियमानुसार जमा अर्जित उपार्जित अवकाश के एवज में उनके समान अवकाश वेतन की राशि।

3. ग्रेच्यूटी अधिनियम अथवा ग्रेच्यूटी योजना के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी जो कर्मचारी पर लागू हो।

नियुक्ति अधिकारी को कर्मचारी की प्रार्थना को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(य) निगम कर्मचारी जिसने इस नियम की धारा (अ) के अधीन नोटिस दिया है वह नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से इसे वापिस ले सकता है बशर्ते कि इस आशय की प्रार्थना नोटिस के समाप्त होने से पूर्व वापस लेने का अनुरोध किया हो।

(र) खण्ड (क) के अधीन निवेदन की प्राप्ति पर, नियुक्ति प्राधिकारी मामले के गुणावगुण के आधार पर तीन माह से कम अवधि के नोटिस को अथवा नोटिस अवधि को समाप्त करने पर आवश्यक एवं आकस्मिक होने पर निदेशक मण्डल की सहमति से निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति स्वीकार कर सकेगा।

(i) निगम का योगदान (बोनस एवं विशेष योगदान) जिसे ऐसी राशि से बढ़ा दिया जायेगा जो राशि पांच वर्ष की काल्पनिक सेवा को जोड़ने से देय होगी बशर्ते पूर्ण सेवाकाल में उसकी सेवा संतोषप्रद एवं अच्छी रही हो।

(ii) काल्पनिक योगदान में सेवानिवृत्ति की तिथि से तुरन्त पहले बिना अंशदान दिये कोष को सेवानिवृत्ति के दिनांक को अथवा पश्चात्, अंशदान की राशि जोड़ दी जायेगी।

(iii) उपरोक्त रीति के परिणामस्वरूप वृद्धि उस योगदान (बोनस एवं विशेष योगदान) जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जा सकता हो से किसी भी तरह से अधिक न हो अगर वह 33 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुआ होता या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण की होती, जो भी कम हो।

(iv) इस खण्ड में वर्णित पांच वर्ष की काल्पनिक योग्य सेवा का लाभ निगम के उस कर्मचारी को देय नहीं होगा जिसे इन नियमों के उप नियम (ब) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ल) निगम कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने के उपरानत, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, शेष पड़े अवकाश के लिए प्रार्थना कर सकेगा जिसे स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसा अवकश नोटिस अवधि के साथ–साथ चलेगा। नोटिस अवधि की समाप्ति के पश्चात् अवकाश अवधि, अगर कोई हो, जो सेवानिवृत्ति की दिनांक के पश्चात् तक प्रचलित हो, लेकिन उस दिनांक के बाद नहीं जब निगम कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होता, तो ऐसी अवधि को 'सेवा समाप्ति अवकाशों' (टरमीनल लीव) जो कि उसके शेष उपार्जित अवकाश की अवधि तक, परन्तु 180 दिवस से अधिक नहीं, को नियुक्ति अधिकारी अपने विवेकाधिकार से स्वीकृत कर सकेगा।

♦36(ब) 15★ वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :

(i) नियुक्ति अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह निगम हित में किसी निगम कर्मचारी को न्यूनतम तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर उसके द्वारा 15★ वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, जो भी इनमें पूर्व में हो, अथवा किसी भी समय, उसके पश्चात् सेवानिवृत्त करे।

परन्तु कि ऐसे निगम कर्मचारी को तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकेगा एवं ऐसी सेवानिवृत्ति पर निगम कर्मचारी नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन एवं भत्तों के भुगतान का हकदार होगा।

♦ कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./8239–8338 दिनांक 20.8.86 द्वारा जोड़ा गया।

★ कार्यालय आदेश क्रमांकःआरएसआईसी/पर्स./2000–01/13688–13768दिनांक16.9.2000 द्वारा संख्या एवं शब्द ''25 वर्ष'' के स्थार पर प्रतिस्थापित।

(ii) निगम ऐसे सेवानिवृत्ति के नोटिस को राज्य के ऐसे किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा जहां निगम कर्मचारी पदस्थापित है तथा निगम कर्मचारी को ऐसे प्रकाशन की तारीख को सेवा से निवृत्त किया हुआ समझा जाएगा, यदि उसे इससे पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश की तामील नहीं की जा चुकी हो।

टिप्पणी

1. इस अधिकार का प्रयोग उस निगम कर्मचारी के विरूद्ध करना चाहा गया है जिसकी कुशलता विकृत हो चुकी है, लेकिन जिसके विरूद्ध अकुशलता का औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है या जो पूर्णतया कुशल नहीं रहा है लेकिन इतनी मात्रा तक अकुशल नहीं हुआ है कि उसे अनुकम्पा भत्ते पर सेवानिवृत्त करने की आवश्यकता पड़े। इस नियम का वित्तीय हथियार के रूप में प्रयोग करने का आशय नहीं है अर्थात् इस प्रावधान का प्रयोग उन्हीं निगम कर्मचारियों के मामले में किया जाना चाहिए जो वित्तीय आधारों के विपरीत एक कार्मिक के रूप में सेवा में रखे जाने के लिए अयोग्य समझे गए हैं।

2. निगम द्वारा द्वारा हड़ताल में भाग लेने या किसी भी रूप में हड़ताल करने हेतु दुष्प्रेरित करने को भी नियम 36 (ब) के प्रयोजनों के लिए 'निगम हित' में सम्मिलित किया हुआ समझा जायेगा।

3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित की गई अथवा विहित की जाने वाली प्रक्रिया का पालन करेगा जहां निगम कर्मचारी को इस नियम के अन्तर्गत उसकी कुशलता विकृत होने अथवा उसकी

सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के कारणों से सेवानिवृत्त किया जाता है।

4. इस नियम के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि ऐसी सेवानिवृत्ति को शास्ति के रूप में नहीं समझा जाता लेकिन जिसे किसी निश्चित अवधि तक सेवा कर लेने पर निगम कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के निगम के पास आरक्षित अधिकार के प्रयोग के रूप में समझा जाता है। तद्नुसार, राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन अनुशासनात्मक एवं अपील नियम में सेवा से हटाने के पूर्व कर्मचारियों के विरूद्ध औपचारिक कार्यवाहियों के लिए दी गई प्रक्रिया ऐसे मामलों में लागू करना आवश्यक/अपेक्षित नहीं है।

5. (i) निगम कर्मचारी, जिन्हें नोटिस के बदले में वेतन एवं भत्ते दिए गए है, मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूरक भत्ता उसी दर पर प्राप्त करने के लिए हकदार है जिस पर वे इस भत्तों को सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व आहरित कर रहे थे।

(ii) नोटिस की अवधि के बदले में दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व उसके द्वारा आहरित किए गए वेतन एवं भत्ते होंगे। चूंकि वह वेतन एवं भत्तों का भुगतान किए जाने पर तुरन्त सेवानिवृत्त हो जाएगा, अतः वेतन वृद्धि की तारीख अगर नोटिस अवधि में आती है तो भी देय नहीं होगी।

[χ] निगम कर्मचारी के तीन से अधिक सन्तान होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(अ) निगम को लोकहित में कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की शक्ति प्राप्त है अगर उसके 15.10.2003 को या उसके पश्चात् तीन से अधिक संतानें हो एवं इस तरह के मामले में कर्मचारी अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ/अथवा सेवा ग्रेच्यूटी, जैसा भी हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ब) परन्तु कि जहां किसी निगम कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव/प्रसवों से दो ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(स) परन्तु ओर भी कि इस नियम के प्रावधान निगम कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जिसकी तीन से अधिक संतानें हैं और उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 14.10.2003 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(द) ऐसे मामलों में नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी को उस पर प्रभावी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन सेवा नियमों के अनुसार एक/तीन माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर सकेगा।

[χ] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2002–03/24248–98 दिनांक 4.3.2003 द्वारा नियम 36 (ब) में जोड़ा गया।

अध्याय–VI

37. कर्मचारी निम्न प्रकार के अवकाश के लिए पात्र होंगे :

(अ) आकस्मिक अवकाश

(अअ) क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश

(ब) उपार्जित अवकाश

(स) रूग्ण अवकाश

(द) प्रसूति अवकाश

(य) असाधारण अवकाश

(र) निरोधावकाश

(ल) अदेय अवकाश

38. अवकाश स्वीकृति के सामान्य अनुदेश :

कर्मचारियों को अवकाश निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों के द्वारा स्वीकृत किया जायेगाः–

(i) अवकाश का दावा या मांग अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। जब निगम सेवा की अत्यावश्यकता हों तो अवकाश को स्थगित, कटौती या रद्द करने की आवश्यकता होती है या पूर्व अवकाश को कम या ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

(ii) निगम में कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति चाहे वह सेवोन्मुक्ति, निष्कासित करने, सेवानिवृत्त करने, मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से हो, पर सभी अवकाश समाप्त होंगे।

(iii) अवकाश काल में कोई कर्मचारी कोई अन्य सेवा या परिलब्धियां स्वीकार नहीं कर सकता।

(iv) अवकाश का सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपभोग नहीं किया जावेगा। ऐसी स्वीकृति हेतु अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखित में सक्षम प्राधिकारी को पर्याप्त रूप से अवकाश उपभोग से पहले जो अपार्जित अवकाश के लिए अवकाश प्रारम्भ होने की दिनांक से 15 दिवस से कम नहीं होगा। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी को अप्रत्याशित परिस्थितियों में पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कार्य से मजबूरन अनुपस्थित रहना पडता है, तो कर्मचारी यथासंभव शीघ्र अवसर उपलब्ध होने पर स्वीकृति हेतु अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(v) कर्मचारी से आशा की जाती है कि वह स्वीकृत अवकाश का उपभोग सेवा में वापिस लौटने से पूर्व करेगा एवं स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व सेवा पर उस समय तक पुनः उपस्थित नहीं हो सकता जब तक सक्षम प्राधिकारी उसे सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दे देता।

परन्तु कि जिस कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है वह ऐसे अवकाश की समाप्ति से पूर्व अवकाश का पूर्ण उपभोग किये बिना सेवा में पुनः उपस्थित हो सकता है।

(vi) एक कर्मचारी जो अवकाश की समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहता है तो वह उस अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा तथा ऐसी अधिक ठहरने वाली अवधि को असाधारण–अवकाश में परिवर्तित कर दिया जावेगा जब तक सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देश दे। एक कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर अपने पद के कर्त्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दोषी होगा।

(vii) अवकाश से पूर्ववर्ती एवं/अथवा अनुवर्ती सार्वजनिक अवकाश जोड़े जा सकते हैं परन्तु अवकाश के बीच में आने वाले सार्वजनिक अवकाश की गणना अवकाश में की जायेगी।

(viii) अवकाश उस दिन से प्रारम्भ होता है जिस दिन कार्य भार सौंपा जाता है अगर उस दिन कार्यभार मध्यान्ह पूर्व सम्भाला गया है अथवा अगले दिन से यदि कार्यभार मध्यान्ह के बाद सम्भाला जाये। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व के दिन से अवकाश समाप्त हो जाता है अगर कार्यभार ग्रहण मध्यान्ह पूर्व हो अन्यथा उस दिन से अगर कार्यभार मध्यान्ह के बाद ग्रहण किया जाता है।

(ix) किसी भी प्रकार के अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अथवा उसकी निरन्तरता में स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु कि आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ अथवा निरन्तरता में मिलाया नहीं जा सकता।

(x) जब तक अन्यथा कुछ अंकित नहीं किया गया हो, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी उनके पैतृक विभाग के अवकाश नियमों जो उन पर लागू हो द्वारा शासित होंगे।

(xi) अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी सक्षम अधिकारी को अवकाश–काल का अपना पता सूचित करेगा एवं समय–समय पर अवकाश पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, होने पर उसकी सूचना देगा।

(xi)♦ (i) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई छुट्टी अर्जित नहीं होगी।

(ii) महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 44 के अनुसार प्रसूति छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

39. आकस्मिक अवकाश

(1) एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। एक कर्मचारी को एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश सामान्यतः स्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु सक्षम अधिकारी अपने विवेकाधिकार से इन शर्तों में परिस्थिति अनुसार शिथिलता दे सकेगा। कैलेन्डर वर्ष के अन्त में अवशेष आकस्मिक अवकाश समाप्त हो जायेंगे।

टिप्पणी :

आकस्मिक अवकाश की किसी अवधि के शीघ्र पूर्वगामी या पश्चगामी रविवार, राजपत्रित अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियां उस आकस्मिक अवकाश के पूर्व–स्थिर या पश्च–स्थिर की जावें और यदि वे आकस्मिक अवकाश अवधि के मध्य आयें तो उन्हें आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जायेगा।

(2) आकस्मिक अवकाश को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य के रूप में गिना जायेगा जिसमें वेतन एवं भत्ते प्राप्त करना सम्मिलित है।

(3) अगर कोई कर्मचारी वर्ष के मध्य में कार्य ग्रहण करता है तो आकस्मिक अवकाश निम्नानुसार विनियमित किया जायेगा :

♦ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/5881–91 दिनांक 14.7.2006 द्वारा जोड़ा गया।

(क) 5 दिन तक जिसकी सेवा तीन माह या उससे कम की हो,

(ख) 10 दिन तक जिसकी सेवा तीन माह से अधिक हो परन्तु छः माह से कम हो, और

(ग) 15 दिन तक, जिसकी सेवा छः माह से अधिक हो।

(4) आकस्मिक अवकाश की अवधि के दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति ली जायेगी।

(5) आकस्मिक अवकाश पर कोई व्यक्ति सेवा में कार्य करता हुआ माना जायेगा और इसलिए आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना एक ऐसा विषय है जो स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के स्वविवेक पर पूर्णतया निर्भर है। अतः पहले से ही नहीं मान सकते कि मांगा गया आकस्मिक अवकाश सदैव स्वीकृत कर दिया जायेगा। यदि स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की यह धारणा हो कि कार्य में हानि होगी, तो वह आकस्मिक अवकाश अस्वीकार कर सकता है। जिस कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश का आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो और जो सेवा पर उपस्थित नहीं हों तो वह जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित होने का दोषी होगा। जानबूझकर ऐसी अनुपस्थिति सेवा में रूकावट मानी जायेगी जिसमें पूर्व सेवाओं की समाप्ति तथा दुर्व्यवहार सम्मिलित है।

39(1-अ)[§] आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश :

कर्मचारियों को आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु निरन्तर 10 दिवस के 'आधे दिवस' के अवकाश से अधिक नहीं हो। इस प्रयोजनार्थ यह प्रातः 10 बजे से

---

§ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./36245–36280 दिनांक 19.2.76 द्वारा जोड़ा गया।

मध्यान्ह पश्चात् 2 बजे तक एवं सांय 1.30 बजे से 5 बजे तक होगा। जो कर्मचारी निगम के ऐसे कार्यालयों में कार्य करते हैं जहां शनिवार, आधे दिन का कार्य दिवस होता है वहां शनिवार को 'आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश' स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

40.[£] विशेष आकस्मिक अवकाश :

(1) कर्मचारी जो वेसेक्टामी/ट्यूबक्टोमी (vasectomy/tubectomy) शल्य चिकित्सा करवाते हैं उन्हें 300/– रूपये की स्वीकृत राशि के साथ :

(क) 6 दिवस की विशेष आकस्मिक अवकाश वेसेक्टामी शल्य चिकित्सा के लिए

(ख) 14 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश महिला कर्मचारियों को ट्यूबक्टोमी शल्य चिकित्सा के लिए

(2) महिला कर्मचारियों को एक दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश आई.यू.डी. के लिए स्वीकृत किया जायेगा।

(3) जिस कर्मचारी की पत्नी ट्यूबक्टोमी शल्य चिकित्सा करवाती है, प्रसवोत्तर (Post-Partum) मामलों को छोड़कर, उसे सात दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

(4)[•] (i) एक कर्मचारी जिसकी पत्नी ट्यूबक्टोमी शल्य चिकित्सा करवाती है, को 300/–[±] रुपये की राशि नकद पुरस्कार के स्वीकृत की जायेगी

[£] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./36161–336207 दिनांक 19.2.76 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया :

''जो कर्मचारी परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत ऑपरेशन करवाते हैं उन्हें तीन दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस अवधि में कर्मचारी पूर्ण दर से वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा।''

(ii) अगर वह वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है एवं इस तरह का लाभ उसने उसके नियोक्ता से प्राप्त नहीं किया हो।

40(क)[$] क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश

कर्मचारियों को क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश निम्न शर्तों के अधीन देय होगा :

(1) वेतनमान 200–450 रूपये से अधिक वेतनमानों में काम करने वाले कर्मचारियों को क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगी।

(2) पदधारी कोई क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश अर्जित नहीं करेगा, जब तक कि

(क) सहायक प्रशासनिक अधिकारी अथवा उसके समकक्ष, जो उसके पद के नीचे का न हो, द्वारा कार्यालय आदेश पारित होने पर उसे रविवार अथवा अन्य छुट्टी, जो किसी शाखा में हो, के दिन कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

एवं

(ख) वह ऐसे अवकाश के दिन चार घंटे से कम न हो तक कार्य करें।

(3) क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश का कोई शेष अगले कैलन्डर वर्ष में आगे जोड़ना स्वीकार नहीं किया जायेगा।

परन्तु कि दिसम्बर माह में अर्जित किया गया ऐसा अवकाश अगले कैलन्डर वर्ष में जोड़ा एवं उपभोग किया जा सकेगा।

• आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./26656–98 दिनांक 2.2.77 द्वारा जोड़ा गया।

± आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./18891–18970 दिनांक 1.9.88 द्वारा रु. 50/– के स्थान पर 300/–रुपये दिनांक 1.9.1987 से किये गये।

$ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./17408–50 दिनांक 2.9.1974 द्वारा (वेतनमान 200–450 जो 1974–75 में प्राप्त कर रहे थे) जोड़ा गया।

41*. उपार्जित अवकाश :

1.(अ) एक कर्मचारी को उपार्जित अवकाश के लेखों में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में दो बार, 1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन के उपार्जित अवकाश अग्रिम के रूप में जमा किये जायेंगे, चाहे वह लीप वर्ष हो या दूसरा।

(ब) यदि कोई कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर एक दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जायेगा जिसकी सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाशों के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किये जायेंगे।

(स) यदि कोई निगम कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की किसी छमाही में निगम सेवा में नियुक्त होता है तो उसको प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा पर ढाई दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।

(द) एक निगम कर्मचारी के द्वारा पद त्याग करने, अस्थाई सेवा समाप्ति पर, सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त करने पर,

---

* आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./14329–99 दिनांक 30.1.1987 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया :

''(1) स्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारी को कर्त्तव्य पर बिताये गये समय का 1/11 उपार्जित अवकाश के रूप में देय होगा। इस प्रयोजनार्थ कर्त्तवय का तात्पर्य निगम सेवा में बिताई गई अवधि जिसमें आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाश जोड़े नहीं जायेंगे। एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम 180 दिनों का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है। किसी एक समय में अधिकतम 120 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

परन्तु कि एक कर्मचारी को वैतनिक छुट्टी का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम ग्यारह माह तक निरनतर सेवा में नहीं रहा हो। प्रथम 11 माह का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण होने से पूर्व विशेष परिस्थितियों में प्रबन्धन अपने स्वविवेक से अनुपातिक उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर सकेगा एवं ऐसे अनुपातिक उपार्जित अवकाश को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के खाते में अगले वर्ष में जमा होने वाले अवकाश में से घटा दी जायेगी।

(2) दिनों की गणना में, एक दिन के अंश को छोड़ दिया जायेगा।''

सेवामुक्त करने पर अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्त किये जाने पर कर्मचारी को देय/स्वीकार्य उपार्जित अवकाशों की गणना के लिए एक जनवरी अथवा एक जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, वाली छमाही सेवा में प्रति पूर्ण माह की ढाई दिन की दर से उस घटना तक की सेवा के आधार पर गणना की जायेगी। गणना करते समय उस माह के अन्तिम दिन तक गणना की जायेगी जिसमें कर्मचारी उपर्युक्त में से किसी घटना के कारण सेवा से सम्बन्ध विच्छेद करता है।

2. उपार्जित अवकाश पर एक कर्मचारी ऐसे अवकाश की कालावधि के दौरान वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा उस वेतन के समान जिसे वह अवकाश प्रस्थान करने के ठीक पूर्व आहरित कर रहा था।

⌖41(क) सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुपयोजित अवकाशों के एवज् में नगद भुगतान :

1. निगम कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर अथवा सेवाकाल में मृत्यु होने पर उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में अनुपयोजित (अवशेष) 300• दिन से अनधिक के अवकाशों के एवज में उनके समान अवकाश वेतन की राशि उसे चुका दी जायेगी।

2. उपर्युक्त (1) के अनुसार कर्मचारी को अथवा कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी की विधवा/बच्चों को अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज् में नगद भुगतान एकमुश्त तथा एक ही समय सेवानिवृत्ति पर चुकाया जायेगा।

⌖ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./97–98/31823–87 दिनांक 26.3.98 द्वारा जोड़ा गया।

• आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./98–99/20010–20099 दिनांक 26.11.98 द्वारा '240' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. इस नियम के अनुसार अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में देय अवकाश–वेतन की फलावट कर्मचारी की सेवा–निवृत्ति के दिन वेतन की दर तथा उसी दिन महंगाई भत्ते की प्रभावी दर के अनुसार की जावेगी जिसके साथ शहरी क्षतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता नहीं दिया जावेगा।

4. अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में देय नकद भुगतान की फलावट निम्न प्रकार की जावेगी :

$$\text{नकद भुगतान} = \frac{\text{सेवा–निवृत्ति के दिन वेतन की दर तथा उस पर उस दिन प्रभावी दरों के आधार पर महँगाई भत्ता} \times \text{सेवा–निवृत्ति के समय अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों की संख्या अधिकतम 300• दिन}}{30}$$

5. प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में नकद भुगतान की स्वीकृति देने को सक्षम माने जायेंगे तथा (300 दिन) की अधिकतम सीमा तक अवकाश स्वीकृत कर एकमुश्त भुगतान कर सकेंगे।

6. जिन कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु के बाद सेवा में अभिवृद्धि करके आगे रखा जाता है, उन्हें भी अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में एकमुश्त नकद भुगतान, उनकी सेवा वृद्धि की समाप्ति पर अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त किये जाने पर, प्राप्त हो सकेगा।

42. रूग्ण अवकाश :

(1) स्थाई कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 10 दिन का रूग्ण अवकाश, पूर्ण वेतन पर, अर्जित होगा।

(2) निगम के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र या निगम द्वारा स्वीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रूग्ण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) केवल वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 12 महीने निरन्तर सेवा की है वे रूग्ण अवकाश के लिए पात्र होंगे।

43. नियम 40 एवं 41 के प्रावधान निगम के ऐसे अस्थाई कर्मचारी पर भी प्रभावी होंगे किन्तु सेवा के प्रथम वर्ष में उपार्जित अवकाश कर्त्तव्य पर व्यतीत किये गये समय का $\frac{1}{22}$ देय होगा।

44.[#] **प्रसूति अवकाश :**

(1) निगम की किसी महिला कर्मचारी द्वारा जो गर्भवती है के सम्बन्धित अधिकारी को लिखित में सूचना देने पर कि वह ऐसी सूचना देने की दिनांक से छः सप्ताह के भीतर बच्चे को जन्म दिये जाने की उम्मीद रखती है, को सूचना देने की दिनांक से वह चाहे तो, प्रसूति की दिनांक तक सेवा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी।

परन्तु कि निगम महिला कर्मचारी द्वारा ऐसे परीक्षण के खर्च चुकाने का वचन देने पर अर्हता प्राप्त चिकित्सक या मिडवाइफ से परीक्षण करवा सकती है। और अगर कर्मचारी ऐसे परीक्षण के लिए मना कर दे अथवा ऐसे परीक्षण से यह प्रमाणित हो कि कर्मचारी

[#] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./26790–834 दिनांक 2.2.1977 द्वारा निम्न के स्थान पर अभिप्रेत :

(i) निगम की किसी महिला कर्मचारी द्वारा जो गर्भवती है के सम्बन्धित अधिकारी को लिखित में सूचना देने पर कि वह ऐसी सूचना देने की दिनांक से छः सप्ताह के भीतर बच्चे को जन्म दिये जाने की उम्मीद रखती है, को सूचना देने की दिनांक से वह चाहे तो, प्रसूति की दिनांक तक सेवा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी।

परन्तु कि निगम महिला कर्मचारी द्वारा ऐसे परीक्षण के खर्च चुकाने का वचन देने पर अर्हता प्राप्त चिकित्सक या मिडवाइफ से परीक्षण करवा सकती है। और अगर कर्मचारी ऐसे परीक्षण के लिए मना कर दे अथवा ऐसे परीक्षण से यह प्रमाणित हो कि कर्मचारी गर्भवती नहीं है या छः सप्ताह के भीतर बच्चे को जन्म दिये जाने की सम्भावना नहीं है तो सक्षम अधिकारी ऐसी अनुमति देने से मना कर सकता है।

(ii) अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र के साथ अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण–पत्र हो। प्रसूति अवकाश अपूर्ण गर्भपात पर देय नहीं होगा।

गर्भवती नहीं है या छः सप्ताह के भीतर बच्चे को जन्म दिये जाने की सम्भावना नहीं है तो सक्षम अधिकारी ऐसी अनुमति देने से मना कर सकता है।

परन्तु और भी कि इस नियम में, महिला कर्मचारी के ऐसा चाहने पर, महिला चिकित्सक/मिडवाईफ से परीक्षण करवाया जा सकता है।

(2) प्रसूति अवकाश पर कर्मचारी को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त वेतन एवं भत्ते के बराबर अवकाश वेतन अनुज्ञात होगा।

(3)✪ सक्षम अधिकारी निगम की महिला कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत कर सकता है। तथापि यदि दो बार उपभोग करने के पश्चात् भी कोई उत्तरजीवी संतान नहीं हो तो प्रसूति अवकाश एक बार और स्वीकृत की जा सकेगी।

प्रसूति अवकाश इसके प्रारम्भ की तारीख से पूर्ण वेतन पर देय होगा जिसे 120 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है।

यह संशोधन 1.1.1998 से प्रभावी माना जायेगा।

(4) महिला कर्मचारी की प्रसूति अवकाश की अवधि में अनुपस्थिति को कर्त्तव्यों से अधिकृत अनुपस्थिति माना जायेगा।

ϒ(5)✯ दो से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला कर्मचारी को प्रसूति छुट्टी इसके प्रारम्भ की तारीख से 135 दिन की कालावधि

✪ आदेश क्रमांक 20010–20099 दिनांक 26.11.1998 द्वारा निम्न के स्थान पर अभिप्रेत :

''प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन अवसरों से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।''

ϒ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे../7416–7485 दिनांक 30.7.86 द्वारा निम्न के स्थान पर अभिप्रेतः

''प्रसूति अवकाश ऐसे अवकाश के प्रारम्भ होने की दिनांक से तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा प्रसवावस्था की दिनांक से छः माह के अन्त तक, जो भी पहले हो।''

तक मंजूर की जा सकेगी। तथापि, यदि इसका दो बार उपभोग करने के पश्चात् भी कोई उत्तरजीवी संतान नहीं हो तो प्रसूति छुट्टी एक बार और मंजूर की जा सकेगी।

ऐसी कालावधि के दौरान वह छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के समान छुट्टी वेतन पाने की हकदार होगी। ऐसी छुट्टी को छुट्टी लेखा में से विकलित नहीं किया जायेगा, किन्तु सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि पृथक् रूप से की जानी चाहिए।

(6) किसी भी महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ देय नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा अपेक्षित प्रसव के 12 मास पहले तक उसने न्यूनतम 160 दिवस की अवधि तक कार्य किया हो।

टिप्पणी :

इस नियम के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश अकाल प्रसव, गर्भपात के मामलों में इस शर्त के अधीन भी दिया जा सकता है कि :–

(i) अकाल प्रसव, गर्भपात के तुरन्त बाद के दिन से अवकाश छः सप्ताह से अधिक नहीं हो।

(ii) अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र के साथ अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण–पत्र हो। प्रसूति अवकाश अपूर्ण गर्भपात पर देय नहीं होगा।

(iii)[±] गर्भपात में संभावित गर्भपात सम्मिलित नहीं है एवं प्रसूति अवकाश संभावित गर्भपात पर स्वीकृत नहीं की जा सकती।

(7) इस नियम के उपनियम (1) से (6) के प्रावधान के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की दिनांक को अगर महिला कर्मचारी की तीन से

[☆] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/6094–6143 दिनांक 20.7.2005 द्वारा निम्न के स्थान पर अभिप्रेतः

''प्रसूति अवकाश इसके प्रारम्भ की तारीख से पूर्ण वेतन पर देय होगा जिसे 90 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है।''

[±] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./7416–7485 दिनांक 30.7.86 द्वारा जोड़ा गया।

अधिक पूर्व में ही संतान है तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

परन्तु और भी कि इस नियम में परीक्षण, अगर महिला कर्मचारी चाहे तो, महिला चिकित्सक/मिडवाइफ से करवाया जा सकता है।

[≠]44(क)पितृत्व अवकाश :

दो से कम उत्तरजीवी संतानों वाले किसी पुरूष कर्मचारी को, उसकी पत्नी की प्रसवावस्था के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से तीन मास बाद तक, 15 दिन की कालावधि (अधिकतम दो बार) का पितृत्व अवकाश मंजूर किया जा सकेगा; और यदि ऐसी छुट्टी का उपभोग इस कालावधि में नहीं किया जाता है तो यह व्ययगत समझी जायेगी।

ऐसी छुट्टी की कालावधि के दौरान कर्मचारी को छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के समान छुट्टी वेतन संदत्त किया जायेगा। पितृत्व छुट्टी को छुट्टी लेखा में से विकलित नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में पृथक् रूप से की जानी चाहिए और इसे किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी (जैसा कि प्रसूति छुट्टी के मामले में होता है) के साथ जोड़ा जा सकेगा।

ऐसी छुट्टी कर्मचारी की पत्नी के गर्भस्त्राव सहित गर्भपात के मामले में अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

45. असाधारण अवकाश :

(1) विशेष परिस्थितियों में एक कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जब अन्य प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं हो अथवा जब अन्य प्रकार का अवकाश शेष है परन्तु कर्मचारी असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करता है।

[≠] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2005–06/6094–6143 दिनांक 20.7.2005 द्वारा जोड़ा गया।

(2) असाधारण अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश वेतन स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) स्थाई सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर, असाधारण अवकाश का संज्ञेय किसी भी प्रकार एक समय पर 3 से 18 माह से अधिक का नहीं होगा। अधिक एवं लम्बे समय का असाधारण अवकाश निगम द्वारा सामान्य या विशेष रूप से जारी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, उस समय स्वीकृत किया जावेगा।

बशर्ते कि असाधारण अवकाश की कुल अवधि (नियमों में तीन माह की देय अवधि सम्मिलित करते हुए) छः माह से अधिक नहीं हो जहां असाधारण अवकाश कर्मचारी की बीमारी के कारण चाहा गया हो एवं जो ऐसे अवकाश का प्रार्थना पत्र नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ हो।

(4)[★] **विलोपित[×]** (निगम कर्मचारियों को सेवा का परित्याग किये बिना अपना स्वयं का व्यवसाय करने अथवा अन्यत्र नौकरी करने की

[★] कार्यालय आदेश क्रमांकः राजसिको/कार्मिक/2003–04/9381–9441 दिनांक 25.9.2003 द्वारा निम्न जोड़ा गया :

संचालक मण्डल की 279वीं बैठक दिनांक 6.9.2003 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार, वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के जारी आदेश क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/नियम/2002 दिनांक 22.5.2003 के आधार पर निगम में सेवा का परित्याग किये बिना अपना स्वयं का व्यवसाय करने अथवा अन्यत्र नौकरी करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नियमित कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश (अवैतनिक) योजना निगम के सेवा नियम 1972 के नियम 45 (4) में निम्न प्रकार समाहित करने का निर्णय लिया जाता हैः–

1. निगम कर्मचारी को आवेदन करने पर न्यूनतम दो वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष तक के लिए विशेष अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जा सकेगा, लेकिन कर्मचारी के अवकाश पर प्रस्थान के पश्चात् दो वर्ष की अवधि से पूर्व उसे सेवा में नहीं लिया जावेगा। ऐसा अवकाश कर्मचारी के पूरे सेवाकाल में मात्र एक बार ही देय होगा।
2. विशेष अवकाश के प्रकरण पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 अधिकृत होंगे।
3. निगम कर्मचारी इस अवकाश अवधि में भारत अथवा भारत के बाहर स्वरोजगार करने अथवा अन्य रोजगार प्रापत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, लेकिन यह राजस्थान सरकार के अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनी, निगम, स्वशाषी निकाय, स्थानीय निकाय, संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकार

द्वारा अनुदानित संस्थाओं में कार्य नहीं कर सकेगा। इस अवधि में कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा। कर्मचारी को सम्पर्क हेतु अपना स्थानीय (भारत में) पता, अवकाश आवेदन–पत्र में अंकित करना होगा।

4. विशेष अवकाश अवधि में स्वरोजगार अथवा अन्य संस्थान में नियोजन प्राप्त करने को राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1958 एवं राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 अनुशासन एवं अपील रूल्स के तहत दुराचरण नहीं माना जावेगा।

5. निगम कर्मचारी की उक्त अवकाश अवधि अवैतनिक होगी। यह अवधि अवकाश अर्जित करने के लिए सेवाकाल नहीं मानी जावेगी।

   इस अवधि के दौरान निगम कर्मचारी का पद भरा हुआ ही माना जावेगा एवं उस पद पर भर्ती/पदोन्नति नहीं दी जा सकेगी।

6. स्वीकृत ऋण/अग्रिम की किश्ते स्वयं कर्मचारी द्वारा संबंधित मद में चैक/नकद राशि द्वारा जमा की जावेगी।

7. निगम कर्मचारी अवकाश अवधि में निम्न सुविधाओं के पात्र नहीं होंगेः

   (i) चिकित्सा पुनःभरण सुविधा

   (ii) राजकीय टेलीफोन/वाहन की सुविधा

8. उपरोक्त विशेष अवकाश अवधि के दौरान निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को निगम के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अनुसार पात्र होने पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

9. विशेष अवकाश अवधि में कर्मचारी की निगम में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यदि उक्त अवधि में कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर बनता है तो विशेष अवकाश अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु विचार करते समय ऐसे अवकाश काल का वास्तविक वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं होने से ऐसी अवधि का मूल्यांकन ''अच्छा'' माना जावेगा। पदोन्नति हेतु योग्य कर्मचारी को proforma पदोन्नति देय होगी। कर्मचारी के अवकाश से लौटने पर पदोन्नति का काल्पनिक लाभ पदोन्नति की दिनांक से दिया जावेगा।

10(अ)अवकाश अवधि में या अवकाश की समाप्ति पर यदि निगम कर्मचारी की सेवा 15 वर्ष से कम है तो वह निगम सेवा से इस्तीफा दे सकेगा और इसके लिए नोटिस अवधि की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा कर्मचारी अवकाश समाप्ति पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो संबंधित नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अथवा बिन्दु–3 के अनुसार निवास के पते के अनुरूप वहां के स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराकर सूचित करेगा कि उसकी अनुपस्थिति को क्यों नहीं निगम सेवा से उसका त्याग (Resignation) समझा जावें। जवाब प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर एवं जवाब प्राप्त नहीं होने पर सेवा से पृथक करने के आदेश जारी करेगा।

(ब) जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु पूरी हो, ऐसे कर्मचारी अवकाश अवधि में अथवा अवकाश समाप्ति पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे और उन्हें भी स्वैच्छिकद सेवानिवृत्ति हेतु नोटिस अवधि के लिए बाध्य नहीं किया जावेगा। नोटिस देने पर भी सेवा पर नहीं लौटने पर अवकाश समाप्ति की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मान लिया जावेगा।

सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नियमित कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश (अवैतनिक) योजना लागू की गई थी।

उक्त योजना को राज्य सरकार, वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के जारी आदेश क्रमांकःएफ.1(8)वित्त/नियम/2002 दिनांक 1.2.2006 के आधार पर निगम द्वारा आदेश क्रमांकःराजसिको/कार्मिक/9389–9441 दिनांक 25.9.2003 के जारी आदेश दिनांक 1.2.2006 से वापस लिया जाता है।)

46. निरोधावकाश

(1) जहां किसी कर्मचारी के घर में किसी छूत का रोग लग जाने के फलस्वरूप, कार्यालय में नहीं आने के आदेश द्वारा अपेक्षित, कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए निरोधावकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो 30 दिवस से अधिक नहीं होगा। ऐसा अवकाश राज्य सरकार अथवा नगर निगम या जन–स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर दिया जा सकेगा। स्पर्शवर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि से अधिक अवकाश देना आवश्यक हो तो वह उपार्जित अवकाश में गिना जायेगा। और जहां उसके खाते में उपार्जित अवकाश शेष नहीं हो तो असाधारण अवकाश में गिना जायेगा। निरोधावकाश उस कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता जो स्वयं छूत के रोग से पीड़ित हो जाए। इस नियम के प्रयोजनार्थ हैजा, चेचक, प्लेग, डिपथीरिया एवं अन्य ऐसी दूसरी बिमारियां जिन्हें राज्य सरकार किसी इलाके में छूत का रोग में सम्मिलित करें उसे ऐसे अवकाश में गिना जायेगा।

(2) निरोधावकाश को सभी प्रयोजनार्थ काम से उपस्थित माना जायेगा एवं जिसमें वेतन एवं भत्तों का भुगतान सम्मिलित है।

× कार्यालय आदेश क्रमांकः राजसिको/कार्मिक/2010–11/2881–2912 दिनांक 8.6.2010 द्वारा उपरोक्त वर्णित जारी आदेश दिनांक 25.9.93 वापिस लिया गया।

✪46(क).अदेय अवकाश :

निगम कर्मचारी जो स्थाई पद का धारक है अथवा किसी स्थाई पद पर अपना पदाधिकार रखता है अर्थात् निगम के किसी वेतनमान में स्थाई हो अथवा जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा निगम के किसी वेतनमान में पूर्ण कर ली हो को निगम के चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा अनुमोदित

✪ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./21677–762 दिनांक 11.11.1992 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित :

निगम कर्मचारी जो स्थाई पद का धारक है अथवा किसी स्थाई पद पर अपना पदाधिकार रखता है अर्थात् निगम के किसी वेतनमान में स्थाई हो अथवा जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा निगम के किसी वेतनमान में पूर्ण कर ली हो, को अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है अगर उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी प्रमाणित करें कि कर्मचारी क्षय रोग से पीडित है अतः स्वीकृत किये जाने वाला अदेय अवकाश निम्न शर्तों अनुसार विनियमित होगा :

(अ) अदेय अवकाश केवल तब स्वीकृत होगा जब अन्य प्रकार के अवकाश का संचित अधिशेष, जो कर्मचारी को देय है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गये हों।

(ब) अदेय अवकाश केवल तब स्वीकृत होगा जब सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि अदेय अवकाश की समाप्ति पर उस कर्मचारी के सेवा पर वापिस उपस्थित होने की पूर्ण सम्भावनाएं हैं। एवं सक्षम प्राधिकारी की ऐसी सम्भावनायें निगम के उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त तथ्य का प्रमाण पत्र जारी करने पर आधारित होगी।

(स) उपरोक्त वर्णित उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त, जो अदेय अवकाश स्वीकृति हेतु पात्रता का आधार होगा, सक्षम प्राधिकारी उतना ही अदेय अवकाश स्वीकृत करेगा जितना कर्मचारी के खाते में भविष्य में अर्जित होने वाले रूग्ण अवकाश में समायोजित हो सके। उदाहरणतः अगर कर्मचारी ऐसे अवकाशों से वापिस आकर सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले कार्य के तीन वर्ष शेष है तो अदेय अवकाश उपरोक्त तीन वर्ष में अर्जित होने वाले रूग्ण अवकाश की अवधि से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा एवं वर्ष की गणना उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगी क्योंकि रूग्ण अवकाश की गणना प्रत्येक 'सेवा के पूर्ण वर्ष' पर आधारित है। इस तरह यह उपनियम भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश की उचित गणना निर्धारित करेगा।

(द) उपरोक्त उप नियम (2) के उद्देश्य के लिए उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी, निगम का अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या सेनिटोरियम का चिकित्सा प्रभारी अधिकारी जहां कर्मचारी का उपचार चल रहा हो चाहे भर्ती होकर या घर पर रहकर रोग निदान करावें या निगम द्वारा मान्यता प्राप्त कोई क्षय रोग विशेषज्ञ या राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र सरकार या भारत के संविधान के अन्तर्गत अन्य कोई राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित क्षय रोग विशेषज्ञ, होगा।

चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अतः स्वीकृत किये जाने वाला अदेय अवकाश निम्न शर्तों अनुसार विनियमित होगा :

(अ) अदेय अवकाश केवल तब स्वीकृत होगा जब अन्य प्रकार के अवकाश का संचित अधिशेष, जो कर्मचारी को देय है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गये हों।

(ब) अदेय अवकाश केवल तब स्वीकृत होगा जब सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि अदेय अवकाश की समाप्ति पर उस कर्मचारी के सेवा पर वापिस उपस्थित होने की पूर्ण सम्भावनाएं हैं। एवं सक्षम प्राधिकारी की ऐसी सम्भावनायें निगम के चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा उपरोक्त तथ्य का प्रमाण पत्र जारी करने पर आधारित होगी।

(स) अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक कर्मचारी ऐसे अवकाशों से वापिस आकर उतनी ही संख्या में अर्द्ध–वेतन अवकाश अर्जित कर सके।

(द) सम्पूर्ण सेवाकाल में 180 दिवस से अधिक का अदेय अवकाश नहीं दिया जायेगा जिसमें से एक समय में 90 दिन से अधिक नहीं होगा।

(र) अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने पर वह कर्मचारी के रूग्ण अवकाशों के खाते में नामे (डेबिट) लिखा जावेगा तथा उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले रूग्ण अवकाशों से किया जायेगा।

अध्याय –VII

47 से 51 कार्य ग्रहण समय

विलोपित

निरसित किये गये आदेश संख्या आरएसआईसी/एस्टे/4381–4474 दिनांक 5.6.87 द्वारा पृथक् से आरएसआईसी कार्य ग्रहण काल नियम 1986 प्रवर्तित किये गये।

52.☆ मृतक कर्मचारी के परिवार को देय विशेष अनुदान

निगम के नियमित कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके नामित को (जैसा कि भविष्य निधि के अभिलेखों में अंकित हो) रूपये 5000/– की अनुदान राशि देय होगी। अतः उसके/उसकी परिवार के सदस्य द्वारा लिखित निवेदन करने पर उसके/उसकी निगम में उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा

☆ आदेश संख्या आरएसआईसी/एस्टें./14558–627 दिनांक 31.1.1987 द्वारा जोड़ा गया।